

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 अक्टूबर 2015—आश्विन 10, शक 1937

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 2015

क्र. एफ 1(ए)195-91-ब-2-दो.—श्री विजय कटारिया, भा. पु. से. अतिरिक्त महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल को दिनांक 21 सितम्बर 2015 से 3 अक्टूबर 2015 तक, कुल तेरह दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 19-20 सितम्बर 2015 एवं 4 अक्टूबर 2015 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री विजय कटारिया, भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विजय कटारिया, भा. पु. से. उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2015

क्र. एफ 1(ए)164-94-ब-2-दो.—सुश्री सोनाली मिश्रा, भा. पु. से., पुलिस महानिरीक्षक (गुप्तवार्ता), मध्यप्रदेश भोपाल को विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 30 जुलाई 2015 द्वारा स्वीकृत अर्जित अवकाश में वृद्धि करते हुए दिनांक 23 से 26 अगस्त 2015 तक, चार दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमला उपाध्याय, अवर सचिव

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 13 अगस्त 2015

क्र. 5681-भू-अर्जन-2015.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 24-अ-82-2013-2014 चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में गादिया तालाब कि नहर निर्माण तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ की तालाब योजनान्तर्गत ग्राम गादिया के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रामकवार विवरण अनुसूची (2) के उल्लेखित है अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि, गादिया तालाब पूर्व से निर्मित है तथा नहर निर्माण पूर्व से चल रहा है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची (1)

ग्राम:—गादिया

तहसील:—जीरापुर

स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	निजी भूमि	-	1.201	1.201
कुल योग . . .		-	1.201	1.201

(गादिया तालाब कि नहर निर्माण)

ग्राम:—गदिया, तहसील:—जीरापुर जिला:—राजगढ़

अनुसूची (2)

गादिया तालाब कि नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का विवरण

स. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	रोशनसिंह नारायणसिंह, करणसिंह बट्टीलाल आ.	694	0.445		0.040	0.040
	भावनीसिंह, रतनलाल, लक्ष्मीनारायण, देवकारण आ.	695	0.648		0.101	0.101
	केशरसिंह, मेहताब बाई वि. चेना गब्बा कालू	696	1.214	-	0.045	0.045
	जगन्नाथ आ. बरदा भैरूलाल, छगनलाल आ. मोती	699/1	1.854		0.253	0.253
	नारायण सिंह आ. बापूलाल जाति गूजर नि. ग्राम	701	2.634		0.165	0.165
	भू-स्वामी.	702/2				
		703/2	0.752		0.024	0.024
		704				
		707/1				
		702/4	0.129		0.012	0.012
		706				
		707	0.729		0.150	0.150
योग . . .			8.405	-	0.790	0.790

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	नारायणसिंह पिता बापूलाल जाति गूजर नि. ग्राम भू-स्वामी.	713/2	0.061	-	0.012	0.012
3	मेताब बाई वि. मोतीलाल भेरुलाल छगनसिंह आ. मोतीलाल उमरावबाई वि. मोतीलाला जाति गूजर नि. ग्राम भू-स्वामी.	713/3	0.611	-	0.055	0.055
4	विजयसिंह उकारलाल जानबाई गीताबाई पिता लछ्छीराम जाति गूजर नि. ग्राम भू-स्वामी.	717/2/1 716/1/6/1	0.283	-	0.065	0.065
5	प्रभुबाई पति हीरालाल जाति गूजर नि. ग्राम भू-स्वामी.	717/1/2	0.801	-	0.090	0.090
6	रोशनसिंह नारायणसिंह, करणसिंह बद्रीलाल, हरीसिंह आ. भावनीसिंह, रतनलाल, लक्ष्मीनारायण, देवकारण आ. केशनसिंह मेहताब बाई वि. चेना गब्बा कालू जगन्नाथ आ. बरदा भैरुलाल छगनलाल आ. मोती नारायणसिंह आ. बापूलाल जाति गूजर नि. ग्राम भू-स्वामी.	715/1 719/4 719/6	0.660 0.263	-	0.165 0.024	0.165 0.024
		2	0.923	-	0.189	0.189
	योग:—कुल		2.756	-	0.411	0.411
	महायोग:—		11.161	-	1.201	1.201

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) खिलचीपुर-जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 5683-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है.

प्र. क्र. 25-ए-82-2013-2014 चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में बावड़ीखेड़ा तालाब की नहर निर्माण तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ की तालाब योजनान्तर्गत ग्राम बावड़ीखेड़ा के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है. चूंकि, बावड़ीखेड़ा तालाब पूर्व से निर्मित है तथा नहर निर्माण पूर्व से चल रहा है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
		सिंचित	असिंचित	कुल योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	निजी भूमि	0.559	0.328	0.887
	कुल योग . .	0.559	0.328	0.887

(बावड़ीखेड़ा तालाब की नहर निर्माण)
ग्राम बावड़ीखेड़ा तहसील जीरापुर जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश

अनुसूची (2)

बावड़ीखेड़ा तालाब की नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का विवरण

क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	रत्तीराम, गंगाराम आ. भेरू जाति लोदा नि. झबरपुरा, भू-स्वामी.	21/3 21/5 21/6	0.363 0.567 0.567	-	0.225	0.225
2	क्वरलाल, शंकरलाल आ. सालगराम जाति गायरी नि. ग्राम भू-स्वामी.	21/7/1 22/1/1	0.336	-	0.049	0.049
3	नारायण आ. नाथूलाल जाति गायरी नि. ग्राम भू-स्वामी.	21/7/2 22/1/2	0.336	-	0.049	0.049
4	नंदूबाई बेवा नन्दा हि. 1/4 अमरसिंह प्रभूलाल आ. रामा हि. 2/4 जाति लोदा नि. ग्राम भू-स्वामी.	23/1 24/1 25/1	0.595	0.156	-	0.156
5	नंदूबाई बेवा नन्दा हि. 1/4 अमरसिंह, प्रभूलाल आ. रामा हि. 2/4 जाति लोदा नि. ग्राम भू-स्वामी.	25/2 26/1 47/2 47/3	0.344 0.364 0.010 0.020	0.093	-	0.093
6	शंकरलाल, जगन्नाथ आ. शिवलाल जाति भील नि. ग्राम भू-स्वामी.	48	0.040	-	0.005	0.005
7	बालचंद आ. भेरू जाति गुजर नि. ग्राम भू-स्वामी.	49 50	0.972	0.110	-	0.110
8	पान बाई पति नंदा जाति गुजर नि. ग्राम भू-स्वामी.	53	0.898	0.135	-	0.335
9	मेतीलाल पिता गुमान जाति गुजर नि. ग्राम भू-स्वामी.	56/2 57/1	0.413	0.065	-	0.065
कुल योग . .				0.559	0.328	0.887

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी खिलचीपुर/जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनंद कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजगढ़, दिनांक 21 अगस्त 2015

क्र. 5835-36-भू-अर्जन-2015.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्र. क्र. 14-अ-82-2014-2015 चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में मूण्डला तालाब की दायीं नहर निर्माण तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम नरसिंहपुरा, खाजला, बड़दला, घोघड़िया खुर्द, घोघड़िया कला, हिरनखेड़ा एवं टाण्डीकला तथा बायीं नहर निर्माण में अर्जित की जा रही भूमि ग्राम मूण्डला, बड़दला, पीपलबे पुरोहित, हिरनखेड़ी, भवानीपुरा खुर्द, रामपुरिया, ऊंचाखेड़ा, कलीखेड़ा उदपुरिया एवं पड़िया जागीर के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि मूण्डला तालाब की नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची (1)

मूण्डला तालाब परियोजना की दायी एवं बायीं नहर में शेष प्रभावित भूमि

तहसील:—राजगढ़

स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)		
		सिंचित	असिंचित	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
दायी नहर में शेष प्रभावित भूमि				
1	नरसिंहपुरा	0.000	0.667	0.667
2	खाजला	0.000	0.424	0.424
3	बड़दला	0.000	1.675	1.675
4	घोघड़ियाखुर्द	0.000	1.215	1.215
5	घोघड़ियाकला	0.000	1.199	1.199
6	हिरनखेड़ा	0.394	0.345	0.739
7	टाण्डीकला	0.000	6.708	6.708
बायीं नहर में शेष प्रभावित भूमि				
8	मूण्डला	0.000	0.806	0.806
9	बड़दला	0.000	0.377	0.377
10	पीपलबे	0.000	4.088	4.088
11	हिरनखेड़ी	0.000	7.014	7.014
12	भवानीपुरा खुर्द	2.270	1.064	3.334
13	रामपुरिया	0.000	0.210	0.210
14	ऊंचाखेड़ा	0.022	0.503	0.525
15	उदपुरिया	0.000	4.227	4.227
16	कलीखेड़ा	0.000	1.260	1.260
17	पड़िया जागीर	0.000	0.940	0.940
कुल योग.		2.686	32.722	35.408

अनुसूची (2)

मूंडला तालाब परियोजना की दांयी नहर में शेष प्रभावित भूमि

ग्राम:—नरसिंहपुरा

स. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	लालसिंह पिता प्यारजी जाति गुर्जर नि. मगरियादेह	32/3	1.770	0.000	0.168	0.168
		19	3.415	0.000	0.024	0.024
		योग	5.185	0.000	0.192	0.192
2	चेनसिंह पिता प्यारजी जाति गुर्जर नि. मगरियादेह	18/4	2.529	0.000	0.010	0.010
		योग	2.529	0.000	0.010	0.010
3	लालजी पिता मांगीलाल जाति सुतार नि. अमृतपुरा	18/5	1.012	0.000	0.174	0.174
		योग	1.012	0.000	0.174	0.174
4	नारायणसिंह पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया नि. खाजला	11/1	1.012	0.000	0.291	0.291
		योग	1.012	0.000	0.291	0.291
ग्राम नरसिंहपुरा का महायोग . .			9.738	0.000	0.667	0.667

मूंडला तालाब परियोजना की दांयी नहर में शेष प्रभावित भूमि

ग्राम:—खाजला

1	शिवसिंह पिता भीमा जाति सौंधिया, नि. खाजला	205/2	0.500	0.000	0.061	0.061
		200/1	0.253	0.000	0.159	0.159
		योग	0.753	0.000	0.220	0.220
2	लालजी पिता नारान, कंचनबाई बैवा नारान जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.	200/2	0.240	0.000	0.090	0.090
		योग	0.240	0.000	0.090	0.090
3	करणसिंह पिता भीमा जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी	77/2	0.253	0.000	0.114	0.114
		योग	0.253	0.000	0.114	0.114
ग्राम खाजला का महायोग . .			1.246	0.000	0.424	0.424

मूंडला तालाब परियोजना की दांयी नहर में शेष प्रभावित भूमि

ग्राम:—बड़दला

1	बद्रीलाल पिता हीरालाल जाति रूवाला	210	1.708	0.000	0.584	0.584
		योग	1.708	0.000	0.584	0.584
2	भंवरलाल, सालगराम, गोपीलाल, राधाकिशन पिता रामा जाति चमार.	159	1.050	0.000	0.010	0.010
		योग	1.050	0.000	0.010	0.010
3	शिवसिंह, देवीसिंह आ. बद्रीलाल, जाति रूवाला	171	0.860	0.000	0.072	0.072
		170	0.481	0.000	0.032	0.032
		योग	1.341	0.000	0.104	0.104

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	बापू पिता देवा जाति चमार, निवासी अमृतपुरा	139/3/6	4.047	0.000	0.049	0.049
		योग	4.047	0.000	0.049	0.049
5	कालू, बापू, बनिया पिता देवा जाति चमार	219	1.808	0.000	0.060	0.060
		योग	1.808	0.000	0.060	0.060
6	रूघनाथ पिता किशोर, रतीराम पिता सोलाल, बनेसिंह, बंशीलाल, हरिसिंह पिता मांग्या जाति गाडरी.	220	1.586	0.000	0.329	0.329
		योग	1.586	0.000	0.329	0.329
7	देवीसिंह पिता बद्दीलाल जाति रूवाला	211	0.670	0.000	0.139	0.139
		योग	0.670	0.000	0.139	0.139
8	बापूलाल पिता दोला जाति गाडरी	139/1/2	0.650	0.000	0.200	0.200
		योग	0.650	0.000	0.200	0.200
9	गोरीलाल पिता दोला जाति गाडरी	139/1/3	0.673	0.000	0.200	0.200
		योग	0.673	0.000	0.200	0.200
	ग्राम बड़दला का महायोग		13.533	0.000	1.675	1.675
मूंडला तालाब परियोजना की दायीं नहर में शेष प्रभावित भूमि			ग्राम:—घोघड़िया खुर्द			
1	लक्ष्मण, शंकर, करन पिता रामसिंह, सुरजीबाई पिता रामसिंह जाति लोड़ा.	150	0.310	0.000	0.200	0.200
		योग	0.310	0.000	0.200	0.200
2	गेंदीबाई पत्नि करणसिंह जाति लोड़ा	149/1	0.373	0.000	0.076	0.076
		योग	0.373	0.000	0.076	0.076
3	हीरालाल पिता देवीराम, मांगीलाल, प्रेमसिंह पिता चंदरलाल, देवीसिंह पिता मांगीलाल जाति लोड़ा.	149/2 113/2	0.747 0.193	0.000 0.000	0.152 0.055	0.152 0.055
		योग	0.940	0.000	0.207	0.207
4	रोड़जी पिता देवीराम जाति लोड़ा	149/3 113/3	0.373 0.386	0.000 0.000	0.076 0.114	0.076 0.114
		योग	0.759	0.000	0.190	0.190
5	घीसालाल, काशीराम, श्रीलाल, पूरीलाल, बापूलाल, चम्पीबाई, दरियावबाई पिता किशोर जाति लोड़ा.	115	0.316	0.000	0.072	0.072
		योग	0.316	0.000	0.072	0.072
6	प्यारजी, देवचन्द, शिवसिंह, लालसिंह, उमरावबाई पिता जगन्नाथ जाति लोड़ा.	114	0.316	0.000	0.096	0.096
		योग	0.316	0.000	0.096	0.096
7	कंवरलाल, लालसिंह, पिता गंगाराम, रतनबाई पुत्री गंगाराम उंकार पिता देवीसिंह जाति लोड़ा.	113/1 112/1	0.193 0.395	0.000 0.000	0.055 0.051	0.055 0.051
		योग	0.588	0.000	0.106	0.106
8	प्यारा, गोपीया, चंपा, बंशी पिता देवा, कमलाबाई, गुलाबबाई पुत्री देवा जाति लोड़ा.	86	0.266	0.000	0.038	0.038
		योग	0.266	0.000	0.038	0.038

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	मदन, मांगीलाल, उंकार पिता हरलाल जाति लोड़ा	87	0.860	0.000	0.230	0.230
		योग	0.860	0.000	0.230	0.230
	ग्राम घोघड़िया खुर्द का महायोग . .		4.728	0.000	1.215	1.215

मूंडला तालाब परियोजना की दांयी नहर में शेष प्रभावित भूमि

ग्राम:—घोघड़िया कला

1	गंगाराम पिता हरलाल जाति लोड़ा	118/1/8	1.500	0.000	0.151	0.151
		योग	1.500	0.000	0.151	0.151
2	काशीराम पिता अमरा जाति लोड़ा	12/6/8	1.000	0.000	0.106	0.106
		योग	1.000	0.000	0.106	0.106
3	प्रेमसिंह पिता चैनसिंह जाति लोड़ा	12/6/3	1.000	0.000	0.101	0.101
		योग	1.000	0.000	0.101	0.101
4	हरिसिंह पिता भंवरलाल जाति लोड़ा	12/6/5	1.000	0.000	0.076	0.076
		योग	1.000	0.000	0.076	0.076
5	बापूलाल, बजेसिंह पिता कालू, किशनलाल पिता प्रभूलाल जाति बलाई.	12/4 8/122	0.443 1.542	0.000 0.000	0.043 0.240	0.043 0.240
		योग	1.985	0.000	0.283	0.283
6	भंवरलाल, गोरीलाल, धूलजी पिता अमरा जाति लोड़ा	11/1 1/1	1.466 1.360	0.000 0.000	0.265 0.040	0.265 0.040
		योग	2.826	0.000	0.305	0.305
7	किशन पिता गंगाराम जाति लोड़ा	4	0.493	0.000	0.120	0.120
		योग	0.493	0.000	0.120	0.120
8	मांगीलाल, मांगीबाई पिता भंवरलाल, जूनीबाई बेवा भंवरलाल जाति लोड़ा.	3	0.379	0.000	0.057	0.057
		योग	0.379	0.000	0.057	0.057
	ग्राम घोघड़िया कला का महायोग . .		10.183	0.000	1.199	1.199

मूंडला तालाब परियोजना की दांयी नहर में शेष प्रभावित भूमि

ग्राम:—हिरनखेड़ा

1	संजयसिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपूत निवासी राजगढ़.	347 344/1 346/1	1.088 0.330 0.247	0.136 0.140 0.118	0.000 0.000 0.000	0.136 0.140 0.118
		योग	1.665	0.394	0.000	0.394
2	धीसालाल पिता भंवरलाल, धूलजी, हरचंद पिता छीतर जाति लोड़ा.	314/1	0.372	0.000	0.120	0.120
		योग	0.372	0.000	0.120	0.120
3	पूनमचंद पिता किशनलाल जाति माली	320/11	1.707	0.000	0.101	0.101
		योग	1.707	0.000	0.101	0.101

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	ग्यारसीबाई विधवा गिरधारी, सरदारबाई, गेंदीबाई, गजरीबाई, संपतबाई, केशरबाई, भंवरीबाई पिता गिरधारी.	320/12/1	0.197	0.000	0.051	0.051
		योग	0.197	0.000	0.051	0.051
5	ग्यारसीबाई विधवा गिरधारी, सरदारबाई, गेंदीबाई, गजरीबाई, संपतबाई, केशरबाई, भंवरीबाई पिता गिरधारी.	320/12/2	0.197	0.000	0.038	0.038
		योग	0.197	0.000	0.038	0.038
6	रामनारायण पिता लक्ष्मण जाति माली	320/15	0.443	0.000	0.035	0.035
		योग	0.443	0.000	0.035	0.035
	ग्राम हिरनखेड़ा का महायोग		4.581	0.394	0.345	0.739
मूंडला तालाब परियोजना की दांयी नहर में शेष प्रभावित भूमि			ग्राम:—टाण्डी कला .			
1	घोसा पिता मोती जाति सुतार	291/2	1.442	0.000	0.024	0.024
		योग	1.442	0.000	0.024	0.024
2	रामसिंह पिता कालू जाति लोड़ा	258	0.949	0.000	0.064	0.064
		योग	0.949	0.000	0.064	0.064
3	भंवरिया पिता नंदा जाति लोड़ा	236	0.683	0.000	0.040	0.040
		97	1.505	0.000	0.112	0.112
		योग	2.188	0.000	0.152	0.152
4	शफीक खां पिता इंद्रीशखां जाति मुसलमान	35/2	2.000	0.000	0.064	0.064
		योग	2.000	0.000	0.064	0.064
5	घोसालाल, नाथूलाल पिता रोड़जी जाति लोड़ा	44	0.468	0.000	0.024	0.024
		योग	0.468	0.000	0.024	0.024
6	भागचन्द पिता किशना आदि	537	0.417	0.000	0.368	0.368
		योग	0.417	0.000	0.368	0.368
7	रामरतन पिता गणपत हि. 71 रमेश राममूर्तिबाई पिता शंकरलाल हि. 29 पै. जाति सुतार.	535/2/1	1.707	0.000	0.260	0.260
		योग	1.707	0.000	0.260	0.260
8	हजारीलाल पिता जालम जाति माली नि. हिरनखेड़ा	535/2/2	0.822	0.000	0.260	0.260
		योग	0.822	0.000	0.260	0.260
9	बापूलाल, रोड़जी पिता धूलजी जाति लोड़ा	535/1/2/1	1.771	0.000	0.260	0.260
		योग	1.771	0.000	0.260	0.260
10	बापूलाल, रोड़जी, नानूबाई, कस्तूरीबाई, प्रेमबाई, पिता धूलजी, हीराबाई बेवा धूलजी, सरदारबाई पुत्री सौलाल.	502/3	0.041	0.000	0.041	0.041
		507/1	0.025	0.000	0.025	0.025
		506/1	0.259	0.000	0.090	0.090
		योग	0.325	0.000	0.156	0.156
11	जगन्नाथ, रामचरण, फूलसिंह पिता गिरधारी, राधी, कान्ती, धापू पिता गिरधारी जाति लोड़ा	507/2	0.026	0.000	0.026	0.026
		506/2	0.266	0.000	0.090	0.090
		योग	0.292	0.000	0.116	0.116

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12	शिवनारायण पिता बापूलाल जाति दांगी नि. कालीपीठ.	501/1 501/2 योग	0.329 0.481 0.810	0.000 0.000 0.000	0.100 0.100 0.200	0.100 0.100 0.200
13	सरदारबाई पुत्री बापूलाल, हरिप्रसाद पिता मिश्रीलाल जाति सुतार.	546/2/1 योग	1.518 1.518	0.000 0.000	0.315 0.315	0.315 0.315
14	कंवरलाल पिता हजारीलाल जाति दांगी निवासी कालीपीठ	546/3/1 योग	3.794 3.794	0.000 0.000	0.315 0.315	0.315 0.315
15	भागचन्द पिता किशना, सरदारबाई पुत्री बापूलाल, सुन्दरबाई बेवा बापूलाल, देवलीबाई पुत्री प्रभू जाति सुतार.	377 योग	0.329 0.329	0.000 0.000	0.060 0.060	0.060 0.060
16	जगन्नाथ, रामचरण, कन्हैयालाल, चम्पालाल, पांचूलाल पिता छितर हि. 50 पेसे आदि.	364 योग	1.417 1.417	0.000 0.000	0.330 0.330	0.330 0.330
17	अमरसिंह, नबलसिंह पिता घीसालाल, मेहताब पिता गंगाराम जाति लोड़ा.	363 334 320 260 योग	0.986 0.670 0.296 0.108 2.060	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0.104 0.200 0.296 0.108 0.708	0.104 0.200 0.296 0.108 0.708
18	बापूलाल, बद्रीलाल पिता बाबरू जाति दांगी	309/1/1/2 योग	5.514 5.514	0.000 0.000	0.060 0.060	0.060 0.060
19	जगदीशप्रसाद पिता ईश्वरलाल जाति दांगी निवासी कालीपीठ.	309/2/1 योग	5.286 5.286	0.000 0.000	0.060 0.060	0.060 0.060
20	हरलाल पिता किशना जाति लोड़ा	318/1 319/2 योग	0.657 0.051 0.708	0.000 0.000 0.000	0.180 0.018 0.198	0.180 0.018 0.198
21	बापूलाल, बद्रीलाल पिता बाबरू जाति दांगी निवासी कालीपीठ.	313 315/2 316/2/1 316/2/2 योग	0.278 0.038 0.804 0.804 1.924	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0.120 0.038 0.107 0.107 0.372	0.120 0.038 0.107 0.107 0.372
22	जगदीशप्रसाद पिता ईश्वरलाल मु. भंवरीबाई बेवा ईश्वरलाल जाति दांगी निवासी कालीपीठ.	315/1 योग	0.038 0.038	0.000 0.000	0.025 0.025	0.025 0.025
23	जगदीश पिता ईश्वरलाल जाति दांगी निवासी कालीपीठ.	316/1 योग	0.840 0.840	0.000 0.000	0.200 0.200	0.200 0.200

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
24	किशनलाल, दोलजी पिता घीसालाल, प्रेमबाई, सौलाल, भंवरबाई बेवा सौलाल जाति लोड़ा.	341 342 योग	0.253 0.998 1.251	0.000 0.000 0.000	0.040 0.160 0.200	0.040 0.160 0.200
25	सरदार पिता भंवरलाल जाति लोड़ा निवासी रूगनाथपुरा	344 345 योग	0.683 0.683 1.366	0.000 0.000 0.000	0.140 0.080 0.220	0.140 0.080 0.220
26	मांगीलाल, जगन्नाथ, केशरबाई पिता धूलजी मु. मौरमबाई बेवा धूलजी जाति लोड़ा.	347/1 योग	0.240 0.240	0.000 0.000	0.240 0.240	0.240 0.240
27	किशनलाल, दोलजी पिता घीसा जाति लोड़ा	348/2/1 योग	1.126 1.126	0.000 0.000	0.256 0.256	0.256 0.256
28	भंवरबाई बेवा सौलाल जाति लोड़ा	349/5 योग	1.480 1.480	0.000 0.000	0.160 0.160	0.160 0.160
29	रामप्रसाद, गीताबाई पिता घीसा जाति सुतार	282/1/3 योग	0.418 0.418	0.000 0.000	0.104 0.104	0.104 0.104
30	हीरा पिता मोती जाति सुतार	281/2 योग	0.322 0.322	0.000 0.000	0.112 0.112	0.112 0.112
31	मोहम्मद रोशन पिता इद्रीशखां जाति मुसलमान	283 योग	2.338 2.338	0.000 0.000	0.216 0.216	0.216 0.216
32	बद्रीलाल, पप्पूलाल, लीलकृष्ण, सुगनबाई पिता भंवरलाल, धापूबाई बेवा भंवरलाल, शंकरलाल, भागीरथ पिता मनना मु. रमकूबाई बेवा मनना हि. 1/3 रमकूबाई पिता किशन हि. 1/3 जगन्नाथ, रोड़ीबाई, कानुबाई पिता अमरसिंह, पुरीबाई बेवा अमरसिंह जाति चमार.	274 271 272 योग	0.557 1.050 1.163 2.770	0.000 0.000 0.000 0.000	0.150 0.150 0.136 0.436	0.150 0.150 0.136 0.436
33	गलला पिता कालू जाति लोड़ा	262 264 योग	0.835 0.177 1.012	0.000 0.000 0.000	0.060 0.088 0.148	0.060 0.088 0.148
34	चम्पालाल, हरिसिंह पिता घीसालाल जाति लोड़ा	22 योग	1.240 1.240	0.000 0.000	0.025 0.025	0.025 0.025
	ग्राम टाण्डी कला का महायोग . .	51	50.182	0.000	6.708	6.708

मूंडला तालाब परियोजना की बांयी नहर में शेष प्रभावित भूमि

ग्राम:—मूंडला

1	देवीलाल पिता हजारीलाल जाति बेड़िया	223/1 219/3 220/2 215/3/8/1 215/1 योग	0.101 0.429 0.146 0.013 0.143 0.832	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0.046 0.093 0.057 0.013 0.051 0.260	0.046 0.093 0.057 0.013 0.051 0.260
2	सौरमबाई बेवा करणसिंह जाति सौंधिया	254 योग	0.339 0.339	0.000 0.000	0.004 0.004	0.004 0.004

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	फूलसिंह पिता सर्जनसिंह, धापूबाई पति फूलसिंह जाति बेड़िया.	258/2	0.379	0.000	0.008	0.008
		योग	0.379	0.000	0.008	0.008
4	भंवरलाल पिता गंगोलया जाति चमार	126	0.759	0.000	0.040	0.040
		योग	0.759	0.000	0.040	0.040
5	मोड़सिंह, हनुमन्तसिंह, चन्दनसिंह, दयालसिंह, इन्दरसिंह पिता प्रभूलाल, दरियावबाई बेवा प्रभूलाल जाति गुर्जर.	20	0.999	0.000	0.020	0.020
		21	0.291	0.000	0.008	0.008
		योग	1.290	0.000	0.028	0.028
6	मोड़सिंह पिता प्रभूलाल जाति गुर्जर	65/3	1.304	0.000	0.107	0.107
		योग	1.304	0.000	0.107	0.107
7	प्रेमसिंह, गंगाधर पिता कन्हैयालाल जाति बेड़िया	226	0.266	0.000	0.126	0.126
		225	0.164	0.000	0.038	0.038
		योग	0.430	0.000	0.164	0.164
8	रामसिंह पिता प्रभूलाल जाति बेड़िया	194	0.228	0.000	0.065	0.065
		योग	0.228	0.000	0.065	0.065
9	गोरीलाल पिता गिरधारी जाति चमार	89	0.089	0.000	0.130	0.130
		योग	0.089	0.000	0.130	0.130
	ग्राम मूण्डला का महायोग . .		5.650	0.000	0.806	0.806
मूंडला तालाब परियोजना की बांयी नहर में शेष प्रभावित भूमि					ग्राम:—बड़दला	
1	जगन्नाथ, देवसिंह पिता रामसिंह जाति गाडरी	1/2/3	0.840	0.000	0.101	0.101
		योग	0.840	0.000	0.101	0.101
2	कालू पिता देवा जाति चमार	1/2/2	0.625	0.000	0.276	0.276
		योग	0.625	0.000	0.276	0.276
	ग्राम बड़दला का महायोग . .		1.465	0.000	0.377	0.377
मूंडला तालाब परियोजना की बांयी नहर में शेष प्रभावित भूमि					ग्राम:—पीपलबे पुरोहित	
1	धूलजी पिता मेहताव जाति सौंधिया	384	0.342	0.000	0.036	0.036
		योग	0.342	0.000	0.036	0.036
2	गोपीलाल पिता बाबरू जाति सौंधिया	383	1.063	0.000	0.204	0.204
		योग	1.063	0.000	0.204	0.204
3	छोटेलाल पिता अमरसिंह जाति सौंधिया	382	0.164	0.000	0.138	0.138
		योग	0.164	0.000	0.138	0.138
4	कंचनबाई बेवा मांगीलाल, देवसिंह पिता मांगीलाल जाति सौंधिया.	375	0.506	0.000	0.180	0.180
		369/2	0.930	0.000	0.174	0.174
		योग	1.436	0.000	0.354	0.354
5	गोपाल पिता अमरसिंह जाति सौंधिया	373	0.371	0.000	0.180	0.180
		370	0.164	0.000	0.104	0.104
		369/1	0.588	0.000	0.174	0.174
		योग	1.123	0.000	0.458	0.458
6	रामकिशन पिता रामसिंह, जड़ावबाई बेवा रामसिंह जाति कुम्हार.	349	0.379	0.000	0.204	0.204
		योग	0.379	0.000	0.204	0.204
7	देवेन्द्रकुमार, पप्पू, रानीबाई, रजनीबाई पिता चन्दर, सुमित्राबाई बेवा चन्दर, धूलजी, रतन पिता हिराराम जाति बैरागी.	319	0.329	0.000	0.192	0.192
		321	0.101	0.000	0.060	0.060
		योग	0.430	0.000	0.252	0.252

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	अनारजी पिता रामलाल जाति सौंधिया	346	0.569	0.000	0.036	0.036
		योग	0.569	0.000	0.036	0.036
9	बनेसिंह, मांगीलाल पिता पूरजी, न्यादीबाई बेवा पूरजी, सौरमबाई बेवा बन्शीलाल जाति सौंधिया.	322/1	0.107	0.000	0.168	0.168
		योग	0.107	0.000	0.168	0.168
10	मोतीलाल पिता अमरसिंह जाति सौंधिया	324/1	0.143	0.000	0.080	0.080
		योग	0.143	0.000	0.080	0.080
11	प्रेमसिंह पिता अमरसिंह जाति सौंधिया	324/2	0.143	0.000	0.080	0.080
		योग	0.143	0.000	0.080	0.080
12	इन्द्रसिंह, हरिसिंह, शिवसिंह पिता लक्ष्मीनारायण, नौरंगबाई बेवा लक्ष्मीनारायण जाति सौंधिया.	324/3	0.144	0.000	0.080	0.080
		योग	0.144	0.000	0.080	0.080
13	दोलजी पिता भोना जाति सौंधिया	323	0.455	0.000	0.204	0.204
		343	0.215	0.000	0.204	0.204
		योग	0.670	0.000	0.408	0.408
14	रामलाल पिता भोना जाति सौंधिया	344/1	0.105	0.000	0.045	0.045
		योग	0.105	0.000	0.045	0.045
15	लक्ष्मण पिता भोना जाति सौंधिया	344/2	0.078	0.000	0.045	0.045
		योग	0.078	0.000	0.045	0.045
16	किशनलाल पिता भोना जाति सौंधिया	344/3	0.105	0.000	0.045	0.045
		योग	0.105	0.000	0.045	0.045
17	करणसिंह पिता भोना जाति सौंधिया	344/4	0.104	0.000	0.045	0.045
		योग	0.104	0.000	0.045	0.045
18	बृजकिशोर पिता मोतीलाल जाति ब्राह्मण निवासी राजगढ़	354	1.846	0.000	0.075	0.075
		योग	1.846	0.000	0.075	0.075
19	किशनलाल पिता भोना जाति सौंधिया	355	0.432	0.000	0.425	0.425
		360	0.617	0.000	0.180	0.180
		417	0.391	0.000	0.228	0.228
		416	0.129	0.000	0.054	0.054
		योग	1.569	0.000	0.887	0.887
20	प्यारजी पिता छीता जाति कुम्हार	424	0.304	0.000	0.048	0.048
		योग	0.304	0.000	0.048	0.048
21	प्यारजी पिता छीता, कालू, देवा पिता खुबा जाति कुम्हार	421	1.479	0.000	0.280	0.280
		422	1.037	0.000	0.120	0.120
		योग	2.516	0.000	0.400	0.400
		ग्राम पीपलबे पुरोहित का महायोग . .	13.340	0.000	4.088	4.088

मूंडला तालाब परियोजना की बांधी नहर में शेष प्रभावित भूमि

ग्राम:-हिरनखेड़ी

1	बापू पिता शंभू जाति नाई	483/2	1.597	0.000	0.232	0.232
		योग	1.597	0.000	0.232	0.232
2	बापू, जानीबाई, प्रेमबाई, कमलाबाई, धापूबाई पिता शंभू जाति नाई.	482	0.013	0.000	0.005	0.005
		484	0.329	0.000	0.060	0.060
		512	0.051	0.000	0.048	0.048

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		511	0.911	0.000	0.345	0.345
		515	1.037	0.000	0.192	0.192
		480	0.024	0.000	0.024	0.024
		479	0.060	0.000	0.060	0.060
		477	0.168	0.000	0.168	0.168
		485	0.354	0.000	0.244	0.244
		योग	2.947	0.000	1.146	1.146
3	कैलाश पिता पूरन भारती जाति गुंसाई	489	0.342	0.000	0.044	0.044
		योग	0.342	0.000	0.044	0.044
4	घोसा जाति धूलजी, नंदा पिता सोलाल, रोड़जी, सांवल्या पिता मूरली जाति लोड़ा.	496	0.417	0.000	0.184	0.184
		योग	0.417	0.000	0.184	0.184
5	ग्यारसीराम पिता अमरसिंह जाति लोड़ा	498/1	0.264	0.000	0.046	0.046
		योग	0.264	0.000	0.046	0.046
6	राधाकिशन पिता अमरसिंह जाति लोड़ा	498/2	0.090	0.000	0.046	0.046
		योग	0.090	0.000	0.046	0.046
7	मांगीलाल, भंवरलाल, दीवानसिंह, मांगीबाई ना. बा. पिता बंशीलाल, सर, माता गुलाबबाई बैवा बंशीलाल, कांतीबाई पिता बंशीलाल जाति लोड़ा.	500/1	0.367	0.000	0.051	0.051
		योग	0.367	0.000	0.051	0.051
8	रोड़जी मोरमबाई पिता रूधनाथ जाति लोड़ा	500/2	0.367	0.000	0.049	0.049
		योग	0.367	0.000	0.049	0.049
9	मोती पिता कनीराम जाति लोड़ा	568/1	0.410	0.000	0.040	0.040
		योग	0.410	0.000	0.040	0.040
10	नाथू पिता कनीराम जाति लोड़ा	568/2	0.095	0.000	0.040	0.040
		योग	0.095	0.000	0.040	0.040
11	कालू पिता कनीराम जाति लोड़ा	568/3	0.285	0.000	0.040	0.040
		योग	0.285	0.000	0.040	0.040
12	गुलाबबाई बैवा बद्रीलाल जाति चमार	495	0.987	0.000	0.192	0.192
		योग	0.987	0.000	0.192	0.192
13	रेशमबाई पिता मांगीलाल जाति लोड़ा	502/1	0.367	0.000	0.036	0.036
		501/4	0.357	0.000	0.126	0.126
		501/2	0.357	0.000	0.126	0.126
		योग	1.081	0.000	0.288	0.288
14	भंवरलाल, बापूलाल, कन्हैयालाल, कमल, रतन, केशरबाई	502/3	0.322	0.000	0.036	0.358
		योग	0.322	0.000	0.036	0.358
15	रामसिंह पिता गिरधारी जाति लोड़ा	516/3	1.881	0.000	0.180	0.180
		योग	1.881	0.000	0.180	0.180
16	दोला पिता भोना जाति लोड़ा	519	0.784	0.000	0.060	0.060
		योग	0.784	0.000	0.060	0.060
17	हेमराज, रामचन्द्र, होकमसिंह, नौरंगबाई, कृष्णाबाई पिता प्रभूलाल जाति लोड़ा.	520	0.683	0.000	0.144	0.144
		योग	0.683	0.000	0.144	0.144
18	मांगीलाल, बद्रीलाल, बंशीलाल, बापूलाल पिता रामा जाति सुतार.	533	0.708	0.000	0.192	0.192
		योग	0.708	0.000	0.192	0.192
19	गोरीलाल पिता रतीराम जाति लोड़ा	532	0.582	0.000	0.168	0.168
		योग	0.582	0.000	0.168	0.168
20	प्यारा पिता छीता जाति लोड़ा	529/2	1.359	0.000	0.228	0.228
		योग	1.359	0.000	0.228	0.228

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21	मांगीलाल, धूलजी, रमेश, बापू, दरयावसिंह पिता गोपीलाल मुखिया रूपाबाई वि. गोपीलाल जाति लोड़ा.	637/1 योग	0.082 0.082	0.000 0.000	0.054 0.054	0.054 0.054
22	रत्ता पिता हीरालाल जाति लोड़ा.	637/2 योग	0.082 0.082	0.000 0.000	0.054 0.054	0.054 0.054
23	रूपा पिता परसा जाति लोड़ा	636/1 635/1 635/3 635/4 636/2 योग	0.189 0.367 0.057 0.154 0.190 0.957	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0.064 0.150 0.057 0.154 0.064 0.489	0.064 0.150 0.057 0.154 0.064 0.489
24	भंवरलाल, रामप्रसाद, नारायण, कलाबाई पिता परसा जाति लोड़ा.	636/3 635/2 618/2 631/2 योग	0.190 0.367 0.310 0.060 0.927	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0.064 0.057 0.162 0.060 0.343	0.064 0.057 0.162 0.060 0.343
25	पन्नलाल, प्यारा पिता छीता जाति लोड़ा	623/1 योग	0.430 0.430	0.000 0.000	0.076 0.076	0.076 0.076
26	रोड़जी, मांगीलाल पिता गब्बा जाति चमार	623/2 योग	0.430 0.430	0.000 0.000	0.076 0.076	0.076 0.076
27	रामचरण पिता पुन्या मुखिया हीराबाई बैवा पुन्या, पुरीबाई पुत्री पुन्या जाति चमार.	623/3 योग	0.430 0.430	0.000 0.000	0.076 0.076	0.076 0.076
28	प्यारा, पन्ना, गोरधन पिता छीता जाति लोड़ा	625 624 योग	0.708 0.192 0.900	0.000 0.000 0.000	0.090 0.192 0.282	0.090 0.192 0.282
29	चंदा पिता भीमा जाति लोड़ा	621/1 योग	1.265 1.265	0.000 0.000	0.024 0.024	0.024 0.024
30	रामसिंह, छोटिया पिता भीमा जाति लोड़ा	621/2 620 योग	0.443 0.544 0.987	0.000 0.000 0.000	0.036 0.120 0.156	0.036 0.120 0.156
31	धूल्या पिता अमरा, हरीसिंह, रमेश, मोतीलाल, लीलाबाई पिता लक्ष्मण, हीराबाई बैवा लक्ष्मण जाति लोड़ा.	619 योग	0.848 0.848	0.000 0.000	0.234 0.234	0.234 0.234
32	रामप्रसाद, नारायण पिता परसा जाति लोड़ा	616/3 योग	0.253 0.253	0.000 0.000	0.096 0.096	0.096 0.096
33	भंवरलाल पिता गंगाराम जाति लोड़ा	616/2/1 योग	0.300 0.300	0.000 0.000	0.045 0.045	0.045 0.045
34	देवा पिता नाथू जाति लोड़ा	614 योग	0.114 0.114	0.000 0.000	0.192 0.192	0.192 0.192
35	देवीसिंह पिता प्रभूलाल जाति लोड़ा	601/1/1 योग	0.119 0.119	0.000 0.000	0.037 0.037	0.037 0.037
36	चेनसिंह पिता प्रभूलाल जाति लोड़ा	601/1/2 योग	0.157 0.157	0.000 0.000	0.037 0.037	0.037 0.037
37	अर्जुन पिता प्रभूलाल जाति लोड़ा	601/1/3 योग	0.157 0.157	0.000 0.000	0.037 0.037	0.037 0.037
38	राधेश्याम पिता प्रभूलाल जाति लोड़ा	601/1/4 योग	0.157 0.157	0.000 0.000	0.037 0.037	0.037 0.037
39	अमरसिंह पिता बाबरू जाति सौंधिया निवासी पीपलबेह	604/2 योग	0.474 0.474	0.000 0.000	0.336 0.336	0.336 0.336

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
40	कन्हैयालाल पिता मोहनलाल जाति लोड़ा	601/2	0.590	0.000	0.066	0.066
		599	0.139	0.000	0.132	0.132
		योग	0.729	0.000	0.198	0.198
41	धूल्या पिता मेहताब जाति सौंधिया नि. पीपलबेह	605	0.696	0.000	0.195	0.195
		योग	0.696	0.000	0.195	0.195
42	गेंदिया पिता मोहनलाल जाति लोड़ा	601/3	0.590	0.000	0.066	0.066
		योग	0.590	0.000	0.066	0.066
43	गोपाल पिता अमरसिंह जाति सौंधिया नि. पीपलबेह	604/3	0.475	0.000	0.468	0.468
		योग	0.475	0.000	0.468	0.468
	ग्राम हिरनखेड़ी का महायोग . .		27.127	0.000	7.014	7.336

मूंडला तालाब. परियोजना की बांयी नहर में शेष प्रभावित भूमि ग्राम भवानीपुरा खुर्द

1	मुंशीलाल, गोरीलाल, रामकिशन, रमेश, लीलाबाई, कमलाबाई पिता मांगीलाल जाति लोड़ा.	201 203 189 योग	0.266 0.607 0.961 1.834	0.030 0.060 0.000 0.090	0.000 0.000 0.114 0.114	0.030 0.060 0.114 0.204
2	भंवरीबाई पति सेवा जाति लोड़ा	200 204/1 204/2 योग	0.342 1.290 1.290 2.922	0.090 0.189 0.153 0.432	0.000 0.000 0.000 0.000	0.090 0.189 0.153 0.432
3	मांगीलाल पिता घीसालाल जाति लोड़ा पर्वतसिंह पिता भंवरलाल जाति लोड़ा.	32 योग	0.228 0.228	0.060 0.060	0.000 0.000	0.060 0.060
4	शंकरलाल पिता कनीराम जाति लोड़ा	42 योग	0.126 0.126	0.030 0.030	0.000 0.000	0.030 0.030
5	भंवरीबाई पति सेवा जाति लोड़ा मुंशीलाल पिता मांगीलाल जाति लोड़ा.	205 योग	0.810 0.810	0.090 0.090	0.000 0.000	0.090 0.090
6	रायसिंह पिता धूलजी जाति सौंधिया निवासी पीपलबेह	181/2 180/2 योग	1.619 0.651 2.270	0.090 0.144 0.234	0.000 0.000 0.000	0.090 0.144 0.234
7	नवलसिंह पिता जगन्नाथसिंह जाति राजपूत नि. ऊंचाखेड़ा	180/1 181/1/3 योग	0.450 0.603 1.053	0.066 0.000 0.066	0.000 0.174 0.174	0.066 0.174 0.240
8	शिवसिंह पिता पृथ्वीसिंह जाति सौंधिया नि. पीपलबेह	170/2 योग	1.144 1.144	0.036 0.036	0.000 0.000	0.036 0.036
9	मोकजी पिता हीरालाल, शिवसिंह पिता पृथ्वीसिंह. प्रेमसिंह पिता रामलाल जाति सौंधिया.	220 योग	1.480 1.480	0.000 0.000	0.216 0.216	0.216 0.216
10	गंगाराम पिता रामलाल जाति सौंधिया निवासी पीपलबेह	170/1 169 योग	0.942 0.202 1.144	0.180 0.000 0.180	0.000 0.180 0.180	0.180 0.180 0.360
11	रमेशचन्द्र पिता धन्नालाल जाति ब्राह्मण	29/2 29/1 योग	0.455 0.455 0.910	0.168 0.090 0.258	0.000 0.000 0.000	0.168 0.090 0.258
12	बापूलाल पिता धन्नालाल जाति ब्राह्मण	29/1/1 योग	0.228 0.228	0.180 0.180	0.000 0.000	0.180 0.180
13	पर्वतसिंह पिता भंवरलाल जाति लोड़ा	36/2 37/2	0.177 0.024	0.210 0.024	0.000 0.000	0.210 0.024

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		33/2	0.133	0.000	0.060	0.060
		योग	0.334	0.234	0.060	0.294
14	गंगाराम पिता बक्सु जाति लोड़ा	102	0.316	0.080	0.000	0.080
		67	0.911	0.000	0.090	0.090
		68	0.030	0.000	0.030	0.030
		योग	1.257	0.080	0.120	0.200
15	मोतीलाल, मावसिंह पिता दोला जाति सौंधिया नि. पीपलबेह	101	0.405	0.000	0.090	0.090
		योग	0.405	0.000	0.090	0.090
16	मोकजी पिता हीरालाल जाति सौंधिया नि. पीपलबेह	100	0.329	0.000	0.080	0.080
	कुमेरसिंह पिता फूलसिंह जाति सौंधिया नि. पीपलबेह	65	0.202	0.150	0.000	0.150
		योग	0.531	0.150	0.080	0.230
17	बापूलाल पिता धन्नालाल जाति ब्राम्हण अयोध्याबाई	98	0.076	0.000	0.030	0.030
	बेवा मदनलाल जाति ब्राम्हण	योग	0.076	0.000	0.030	0.030
18	मांगीलाल पिता किशनलाल जाति सौंधिया निवासी	62/224/1	0.203	0.050	0.000	0.050
	पीपलबेह.	योग	0.203	0.050	0.000	0.050
19	रमेश, बापूलाल, श्यामाबाई पिता धन्नालाल जाति ब्राम्हण	66/3	0.721	0.100	0.000	0.100
		योग	0.721	0.100	0.000	0.100
		ग्राम भवानीपुरा खुर्द का महायोग . .	17.676	2.270	1.064	3.334

मूंडला तालाब परियोजना की बांयी नहर में शेष प्रभावित भूमि—ग्राम रामपुरिया

1	गोरधन, कन्हैयालाल पिता दोलजी जाति लोड़ा	200	0.936	0.000	0.090	0.090
		योग	0.936	0.000	0.090	0.090
2	मोड़सिंह, कस्तूरीबाई पिता धन्ना, रमेश, पुष्पाबाई पिता	201/1	0.683	0.000	0.120	0.120
	भंवरलाल जाति लोड़ा	योग	0.683	0.000	0.120	0.120
		ग्राम रामपुरिया का महायोग . .	1.619	0.000	0.210	0.210

मूंडला तालाब परियोजना की बांयी नहर में शेष प्रभावित भूमि—ग्राम ऊँचाखेड़ा

1	चन्द्रसिंह, प्रभूनाथसिंह पिता सरदारसिंह जाति राजपूत	132	0.253	0.000	0.018	0.018
		26	1.151	0.000	0.040	0.040
		योग	1.404	0.000	0.058	0.058
2	डूंगरसिंह, बृजराजसिंह पिता गणपतसिंह जाति राजपूत	210	0.911	0.000	0.004	0.004
		योग	0.911	0.000	0.004	0.004
3	जसवंतसिंह पिता हरिसिंह जाति सौंधिया नि. कलीखेड़ा	25	1.581	0.000	0.016	0.016
		योग	1.581	0.000	0.016	0.016
4	मोहनसिंह पिता धीरजसिंह जाति राजपूत	104/1	0.097	0.000	0.045	0.045
		योग	0.097	0.000	0.045	0.045
5	रूपसिंह पिता धीरपसिंह जाति राजपूत	93/3/1	0.515	0.000	0.040	0.040
		योग	0.515	0.000	0.040	0.040
6	प्रहलादसिंह पिता धीरपसिंह जाति राजपूत	103	0.190	0.000	0.060	0.060
		योग	0.190	0.000	0.060	0.060
7	रघुवीरसिंह पिता धीरपसिंह जाति राजपूत	98	0.228	0.000	0.020	0.020

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		97	0.120	0.000	0.120	0.120
		104/2	0.045	0.000	0.045	0.045
		104/3	0.045	0.000	0.045	0.045
		योग	0.438	0.000	0.230	0.230
8	हरीसिंह, मोहनसिंह पिता जवाहरसिंह जाति राजपूत	99	0.202	0.000	0.030	0.030
		योग	0.202	0.000	0.030	0.030
9	श्रीमति कैलाश कुंवर पति नवलसिंह जाति राजपूत	96/1	0.089	0.000	0.020	0.020
		योग	0.089	0.000	0.020	0.020
10	अन्तरकुंवर बेवा शम्भूसिंह, देवराजसिंह, शिवराजसिंह, महेन्द्रसिंह पिता शम्भूसिंह जाति राजपूत	133/1	0.126	0.022	0.000	0.022
		योग	0.126	0.022	0.000	0.022
	ग्राम ऊँचाखेड़ा का महायोग . .		5.553	0.022	0.503	0.525

मूंडला तालाब परियोजना की बांयी नहर में शेष प्रभावित भूमि ग्राम कलीखेड़ी

1	रामकरण पिता हिन्दूसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी	1/4	2.529	0.000	0.660	0.660
		योग	2.529	0.000	0.660	0.660
2	शम्भू पिता भंवरलाल मु. उमरावबाई बेवा भंवरलाल जाति भील नि. ग्राम भू-स्वामी.	1/5	5.058	0.000	0.600	0.600
		योग	5.058	0.000	0.600	0.600
	ग्राम ऊँचाखेड़ा का महायोग . .		7.587	0.000	1.260	1.260

मूंडला तालाब परियोजना की बांयी नहर में शेष प्रभावित भूमि ग्राम उदपुरिया

1	दोलजी पिता पृथ्वीसिंह जाति सौंधिया	66/2/2/1	1.206	0.000	0.070	0.070
		योग	1.206	0.000	0.070	0.070
2	रूपसिंह पिता पृथ्वीसिंह जाति सौंधिया	65/3	0.164	0.000	0.120	0.120
		योग	0.164	0.000	0.120	0.120
3	मांगीलाल पिता कालू जाति सौंधिया नि. ग्राम कलीखेड़ा	60/2	0.759	0.000	0.175	0.175
		योग	0.759	0.000	0.175	0.175
4	हरिसिंह पिता बापूलाल जाति सौंधिया	56/1/3	0.190	0.000	0.033	0.033
		योग	0.190	0.000	0.033	0.033
5	नारायणसिंह पिता बापूलाल जाति सौंधिया	56/1/1	0.189	0.000	0.033	0.033
		योग	0.189	0.000	0.033	0.033
6	बनेसिंह पिता बापूलाल जाति सौंधिया	56/1/2	0.190	0.000	0.033	0.033
		योग	0.190	0.000	0.033	0.033
7	रतनसिंह पिता बापूलाल जाति सौंधिया	56/1/4	0.190	0.000	0.033	0.033
		योग	0.190	0.000	0.033	0.033
8	जगदीश पिता करणसिंह व. मु. रतनबाई बेवा करणसिंह जाति सौंधिया.	56/2	0.379	0.000	0.065	0.065
		योग	0.379	0.000	0.065	0.065

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	राजू पिता करणसिंह व. मु. रतनबाई बेवा करणसिंह, जाति सौंधिया.	56/3	0.380	0.000	0.065	0.065
		योग	0.380	0.000	0.065	0.065
10	मांगीबाई बेवा भावसिंह, छोटूलाल, रघुवीरसिंह, मुकेश पिता भावसिंह, ममताबाई, मनोरबाई पिता भावसिंह.	54	2.795	0.000	0.420	0.420
		योग	2.795	0.000	0.420	0.420
11	गोरधनसिंह, बेजनाथसिंह पिता केशरसिंह महेश्वरसिंह, लेखराजसिंह पिता जगन्नाथसिंह, जाति राजपूत.	57	0.734	0.000	0.040	0.040
		योग	0.734	0.000	0.040	0.040
12	गुलाबचन्द पिता प्रभूलाल, जाति ब्राम्हण	53/1	0.396	0.000	0.060	0.060
		योग	0.396	0.000	0.060	0.060
13	राजेश पिता प्रभूलाल, जाति ब्राम्हण	53/2	0.396	0.000	0.060	0.060
		योग	0.396	0.000	0.060	0.060
14	कालू पिता गंगाराम, जाति सौंधिया	36	1.974	0.000	0.420	0.420
		योग	1.974	0.000	0.420	0.420
15	प्रेमसिंह पिता बापूलाल, जाति सौंधिया	38	0.582	0.000	0.210	0.210
		40	5.450	0.000	0.540	0.540
		योग	6.032	0.000	0.750	0.750
16	प्रेमसिंह, प्यारजी, धीरपसिंह पिता बापूलाल, अनोखबाई, बादामबाई, रतनबाई, पुत्रीया बापूलाल मु. रोड़ीबाई बेवा बापूलाल, देवसिंह पिता भेरूसिंह, जाति सौंधिया	43	0.734	0.000	0.150	0.150
		42	0.481	0.000	0.030	0.030
		41	0.329	0.000	0.270	0.270
		योग	1.544	0.000	0.450	0.450
17	मोड़सिंह पिता धूलजी, काशीबाई पति मोड़सिंह, जाति चमार, नि. पड़िया	88/1	1.463	0.000	0.300	0.300
		योग	1.463	0.000	0.300	0.300
18	हीरालाल पिता धूलजी, कमलाबाई पति हीरालाल, जाति चमार, नि. पड़िया	88/2	1.463	0.000	0.050	0.050
		योग	1.463	0.000	0.050	0.050
19	राधेश्याम पिता फूलसिंह, जाति भील	89/2	1.800	0.000	0.150	0.150
		योग	1.800	0.000	0.150	0.150
20	हरिसिंह पिता जगन्नाथ, जाति भील	89/1	1.800	0.000	0.300	0.300
		योग	1.800	0.000	0.300	0.300
21	रमेश पिता प्रभू, धापूबाई पति रमेश, जाति चमार, नि. पड़िया	94/1	1.770	0.000	0.420	0.420
		योग	1.770	0.000	0.420	0.420
22	कालू पिता धूलजी, नारायणीबाई पति कालू, जाति चमार, नि. पड़िया	94/2	0.180	0.000	0.180	0.180
		योग	0.180	0.000	0.180	0.180
ग्राम उदपुरिया का महायोग			25.994	0.000	4.227	4.227

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मूंडला तालाब परियोजना की बांयी नहर में शेष प्रभावित भूमि:—पड़िया जागीर						
1	बद्रीलाल पिता गोपीलाल, जाति नाई	340	1.743	0.000	0.540	0.540
		योग	1.743	0.000	0.540	0.540
2	हजारीलाल पिता गोपीलाल, जाति नाई	344/1	2.000	0.000	0.400	0.400
		योग	2.000	0.000	0.400	0.400
ग्राम पड़िया जागीर का महायोग			3.743	0.000	0.940	0.940

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), राजगढ़, जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

राजगढ़, दिनांक 28 अगस्त 2015

क्र. 6088-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसके संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्र. क्र. 02-अ-82-14-15 चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में डोब तालाब की नहर निर्माण तहसील जीरापुर, जिला राजगढ़ की तालाब योजनान्तर्गत ग्राम डोब बामन्याखेड़ी एवं भगोरी के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि, डोब तालाब की नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची—1

ग्राम डोब, बामन्याखेड़ी एवं भगोरी, तहसील जीरापुर

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
		सिंचित	असिंचित	कुल योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	निजी भूमि (ग्राम डोब)	0.298	0.070	0.368
	निजी भूमि (ग्राम बामन्याखेड़ी)	0.000	0.554	0.554
	निजी भूमि (ग्राम भगोरी)	0.220	0.960	1.18
कुल योग . .		0.518	1.584	2.102

(डोब तालाब की नहर निर्माण)

ग्राम डोब, तहसील जीरापुर, जिला राजगढ़ (म. प्र.)

अनुसूची—2

डोब तालाब की नहर निर्माण में आने वाली ग्राम डोब की निजी भूमि का विवरण

क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	जाल्या पिता नाथू जाति चमार, नि. माचलपुर भू-स्वामी.	5/1/1/10/5	1.000	0.000	0.070	0.070
2	रघुवीर पिता दौला, जाति कंजर, नि. मल्हारगढ़	100/1	0.241	0.048	0.000	0.048
3	नारायणसिंह पिता बापूलाल, जाति गूजर, नि. ग्रा. भू-स्वामी	97/3	0.131	0.000	0.030	0.030

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	शिवसिंह पिता नन्दा जाति गूजर नि. ग्रा. भू-स्वामी	86	5.310	0.220	0.000	0.220
	कुल योग . .		6.682	0.268	0.100	0.368

डोब तालाब की नहर निर्माण में आने वाली ग्राम बामन्याखेड़ी की निजी भूमि का विवरण

क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का		प्रभावित भूमि	
			रकबा	सिंचित	असिंचित	कुल योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	देवीसिंह पिता मदनलाल, जाति गूजर, नि. ग्रा. डोब	184/1/1/3/1/2	0.506	0.000	0.060	0.060
2	भंवरलाल, रामसिंह भैरु पिता काना, कंकूबाई धापूबाई, गंगाबाई, सरदारबाई, पुत्री काना बदनबाई, बेवा काना/मांगीलाल पिता घीसा जाति चमार नि. नि. पोलखेड़ा भू-स्वामी.	110	0.874	0.000	0.064	0.064
3	देवीसिंह पिता पूरसिंह, जाति गूजर, नि. ग्रा. भू-स्वामी. 144		0.428	0.000	0.040	0.040
4	नारायण द. पुत्र लाला, जाति गूजर, नि. ग्रा. भू-स्वामी. 131		0.867	0.000	0.040	0.040
5	देवजी पिता हीरा, जाति गूजर, नि. ग्राम भू-स्वामी. 132/1		0.202	0.000	0.060	0.060
6	भैरु पिता हीरा, जाति गूजर, नि. ग्रा. भू-स्वामी. 132/2		0.405	0.000	0.060	0.060
7	कालू पिता मोतीलाल, जाति गूजर, नि. ग्रा. भू-स्वामी. 119/1		0.612	0.000	0.040	0.040
8	रामलाल, बालू पिता मांगीलाल, जाति गूजर, नि. ग्रा. भू-स्वामी. 109		0.583	0.000	0.060	0.060
9	गंगाबाई पति गुलाब, जाति गूजर, नि. ग्रा. भू-स्वामी. 104		0.926	0.000	0.060	0.060
10	बनेसिंह पिता कालूसिंह, जाति गूजर, नि. ग्रा. भू-स्वामी. 132/185/2/1		0.506	0.000	0.070	0.070
	कुल योग:-		5.909	0.000	0.554	0.554

अनुसूची (2)

डोब तालाब की नहर निर्माण में आने वाली ग्राम भगोरी की निजी भूमि का विवरण

क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का		प्रभावित भूमि	
			रकबा	सिंचित	असिंचित	कुल योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	कालूसिंह, भोजराज, ज्ञानसिंह, संतराम आ. मोतीलाल, पानबाई वि. मोतीलाल, जाति गूजर, नि. बामन्याखेड़ी भू-स्वामी.	326	0.486	0.000	0.040	0.040
		331/1/5	1.011	0.000	0.200	0.200
2	रोशनसिंह पिता कनीराम गूजर, नि. भारुगढ़ भू-स्वामी	309/18	2.000	0.000	0.240	0.240
3	मांगीलाल, भंवरिया फूलचंद पिता मेहताब, संपतबाई आ. मेहताब, जाति चमार, नि. बामन्याखेड़ी भू-स्वामी.	309/1/8	6.070	0.000	0.480	0.480
4	नाथूलाल पिता मांगीलाल, जाति गूजर, नि. ग्रा. भू-स्वामी.	330	8.104	0.000	0.220	0.220
		331/1/1				
		332				
		333				
		334				
	कुल योग . .		17.671	0.000	1.180	1.180

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खिलचीपुर/जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. कुलेश, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 11 सितम्बर 2015

क्र. भू-अर्जन (अ-82) 2014-2015-1039.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में समाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "समाजिक समाघात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				निर्माण कार्य एजेंसी		सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	का नाम	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	अमनी पिररिया रैयत प.ह.नं. 02/04 रा.नि.म. विक्रमपुर	436 435 434 432/1 433 431 429	0.320 0.170 0.200 0.160 0.250 0.560 0.190	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	पाकर बघर्रा जलाशय के नहर कार्य हेतु.
		शासकीय भूमि . .	437	0.650		
			सकल योग . .	2.500		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
छवि भारद्वाज, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 11 सितम्बर 2015

प्र. क्र. 201-अ-82-वर्ष 2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है.

राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11 एवं 12) की उपधारा (3) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (3)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	गुनौर	कटरा	निजी भूमि रकबा 0.675 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 है. <u>कुल रकबा 0.675 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	भितरी मुटमुरू तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 202-अ-82-वर्ष 2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11 एवं 12) की उपधारा (3) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (3)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	गुनौर	पटना तमोली	निजी भूमि रकबा 0.450 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 है. <u>कुल रकबा 0.450 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	भितरी मुटमुरू तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 203-अ-82-वर्ष 2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11 एवं 12) की उपधारा (3) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (3)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	जसवंतपुरा	निजी भूमि रकबा 16.500 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 1.375 है. <u>कुल रकबा 17.875 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	जसवंतपुरा तालाब योजना अन्तर्गत बाँध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 204-अ-82-वर्ष 2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11 एवं 12) की उपधारा (3) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (3)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	विक्रमपुर	निजी भूमि रकबा 12.888 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 17.738 है. <u>कुल रकबा 30.626 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	द्वारी तालाब योजना अन्तर्गत बोध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 205-अ-82-वर्ष 2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11 एवं 12) की उपधारा (3) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (3)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	गुनौर	धनोखर	निजी भूमि रकबा 4.119 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 है. <u>कुल रकबा 4.119 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	श्यामरडाडा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 206-अ-82-वर्ष 2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11 एवं 12) की उपधारा (3) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (3)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	गुनौर	सुपन्था	निजी भूमि रकबा 1.825 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.075 है. <u>कुल रकबा 1.900 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	श्यामरडाडा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 207-अ-82-वर्ष 2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11 एवं 12) की उपधारा (3) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (3)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	गुनौर	बछरवारा	निजी भूमि रकबा 0.963 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.050 है. <u>कुल रकबा 1.013 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	सिमरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 208-अ-82-वर्ष 2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11 एवं 12) की उपधारा (3) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (3)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	गुनौर	कठवरिया	निजी भूमि रकबा 2.963 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.088 है. <u>कुल रकबा 3.026 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	सिमरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पन्ना, दिनांक 18 सितम्बर 2015

प्र. क्र. 209-अ-82-वर्ष 2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11 एवं 12) की उपधारा (3) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (3)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	पिपरिया बराहो	निजी भूमि रकबा 4.07 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.70 है. <u>कुल रकबा 4.77 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पर्वई.	मेनहा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पर्वई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 210-अ-82-वर्ष 2014-115.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11 एवं 12) की उपधारा (3) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (3)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	टीकुल पौड़ी	निजी भूमि रकबा 0.79 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.88 है. <u>कुल रकबा 1.67 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	मेनहा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 211-अ-82-वर्ष 2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11 एवं 12) की उपधारा (3) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (3)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	पौड़ीकला	निजी भूमि रकबा 1.91 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.65 है. <u>कुल रकबा 2.56 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	मेनहा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 212-अ-82-वर्ष 2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11 एवं 12) की उपधारा (3) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (3)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	गजंदा	निजी भूमि रकबा 1.74 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.23 है. <u>कुल रकबा 1.97 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	चकरा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल खरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 18 सितम्बर 2015

पत्र क्र. 2012-प्रशा.-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि खम्हरिया माइनर का निर्माण कार्य कराया जाना है, इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	जमोड़ी	2.440	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक-2, सतना.	खम्हरिया माइनर नहर निर्माण में भूमि अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2014-प्रशा.-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि सराय माइनर का निर्माण कार्य कराया जाना है, इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बघेलान	चकदही	1.851	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक-2, सतना.	सराय माइनर नहर निर्माण में नवीन रकबे की भूमि अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2016-प्रशा.-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के

खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि खम्हरिया माइनर का निर्माण कार्य कराया जाना है, इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	खम्हरिया पैपखार तिवरियान	1.360	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक-2 सतना.	खम्हरिया माइनर नहर निर्माण में भूमि अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2018-प्रशा.-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि सराय माइनर का निर्माण कार्य कराया जाना है, इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बघेलान	अमिलिया	0.453	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक-2, सतना.	सराय माइनर नहर निर्माण में नवीन रकबे की भूमि अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2020-प्रशा.-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि बेलहटा माइनर का निर्माण कार्य कराया जाना है, इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	सोनवर्षा	1.210	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक-2, सतना.	बेलहटा माइनर नहर निर्माण में भूमि अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2022-प्रशा.-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि सराय माइनर का निर्माण कार्य कराया जाना है, इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
सतना	रामपुर	बधेलान	सराय	2.846	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक-2, सतना.	सराय माइनर नहर निर्माण में नवीन रकबे की भूमि अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2024-प्रशा.-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि बेलहटा माइनर का निर्माण कार्य कराया जाना है, इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
सतना	रघुराजनगर	बेलहटा		1.430	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक-2, सतना.	बेलहटा माइनर नहर निर्माण में भूमि अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 18 अगस्त 2015

क्र. भू-अर्जन-01(अ-82)-2014-2015-1013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—डिण्डौरी
(ग) ग्राम—खजरवारा, प.ह.नं. 92, रा.नि.म. मेंहदवानी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.95 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
219	0.240	-
174/1	0.080	-
239	0.120	-
167/3	0.040	-
336/9, 336/10	0.040	-
265/1	0.100	-
129/1	0.030	-
31/6	0.030	-
487/1	0.060	-
490/1	0.060	-
2	0.120	-
61/3	0.030	-
योग :		0.950

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—दनदना जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, डिण्डौरी कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-10(अ-82)-2014-2015-1011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—शहपुरा
(ग) ग्राम—मोहरा खुर्द, प.ह.नं. 45, रा.नि.म. शहपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.77 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
16/1	0.02	-
16/2	0.01	-
18	0.02	-
185	0.08	-
186	0.06	-
187	0.03	-
190	0.08	-
191	0.11	-
194	0.10	-
179	0.20	-
178	0.20	-
119/1	0.28	-
115/1	0.13	-
115/25	0.12	-
114	0.06	-
113	0.06	-
111	0.06	-
245	0.01	-

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
110	0.06	-	52	0.12	-
106	0.06	-	61/2	0.12	-
105	0.12	-	60	0.30	-
104	0.10	-	78/1	0.03	-
91	0.07	-	78/2	0.02	-
90	0.02	-	66/1	0.16	-
89	0.08	-	66/2	0.17	-
82	0.16	-	66/3	0.17	-
84	0.13	-	79/1	0.43	-
77	0.08	-	77/1	0.03	-
78	0.05	-	75	0.07	-
76/2	0.04	-	58	0.18	-
योग	2.60		57	0.02	-
17, 172/1,		0.17	योग	1.97	
86, 246			46/1, 61/1,		0.24
सकल योग	2.77		33/1, 68, 76		
			सकल योग	2.21	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बिलगांव मध्यम परियोजना का नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, डिण्डौरी कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-12(अ-82)-2014-2015-1015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—शहपुरा
(ग) ग्राम—चरगांव रैयत, प.ह.नं. 45, रा.नि.म. शहपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.21 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
46/2	0.03	-
47	0.12	-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बिलगांव मध्यम परियोजना का नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, डिण्डौरी कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-13(अ-82)-2013-2014-1015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—शहपुरा

- (ग) ग्राम—चरगांव, प.ह.नं. 80, रा.नि.म. शहपुरा.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.390 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
117/1	0.08
117/2	0.08
181/1	0.07
181/2	0.08
198	0.47
207/1	0.08
207/2	0.08
206/1	0.02
206/2	0.03
224/1	0.03
224/2	0.02
225/1	0.17
225/2	0.16
226/2	0.03
226/3	0.03
227/2	0.03
228	0.11
205	0.33
229	0.42
योग . . .	2.320
शासकीय भूमि 226/1, 227/1	0.070
सकल योग . . .	2.390

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बिलगांव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-14 (अ-82)-2014-2015-1009.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—शहपुरा
(ग) ग्राम—गुरैया, प.ह.नं. 47, रा.नि.म. शहपुरा.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.560 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
484/1	0.03
484/2	0.03
484/3	0.03
484/4	0.03
483	0.03
482	0.09
480/1	0.04
482/2	0.04
480/3	0.04
473	0.28
462	0.17
350	0.08
462/2	0.10
451/1	0.05
451/2	0.05
450	0.10
448	0.13
16	0.11
27	0.02
28	0.02
447	0.08
446/1	0.10
446/2	0.10
441	0.13
9	0.01
440	0.25
367	0.17
363	0.09
361	0.02

(1)	(2)
366/1	0.06
366/2	0.07
364	0.02
351	0.06
275	0.12
279	0.02
10	0.10
273	0.13
272	0.02
269	0.16
268	0.11
149	0.16
266	0.08
261	0.10
260	0.04
259	0.13
258	0.08
256/1	0.02
256/2	0.16
244	0.12
243	0.24
241	0.08
242	0.09
11/1	0.02
23/1	0.11
242/2	0.09
11/2	0.13
23/2	0.06
237	0.06
238/2	0.15
238/3	0.16
8	0.02
15	0.10
18/1	0.05
21	0.03
24/1	0.05
24/2	0.05
25	0.02
26	0.06
योग . .	<u>5.750</u>
शासकीय भूमि	
479, 362, 352,	0.810
284, 271, 270	
सकल योग . .	<u>6.560</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बिलगांव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-19 (अ-82)-2013-2014-1014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पद (1) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—शहपुरा

(ग) ग्राम—बिजौरी, प.ह.नं. 45 रा.नि.म. शहपुरा.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.470 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
438	0.05
436	0.16
430/1	0.08
430/2	0.09
430/3	0.08
430/4	0.08
429/1	0.02
429/2	0.02
428/1	0.04
428/2	0.02
428/3	0.02
426/1	0.03
266/2	0.02
426/3	0.02

(1)	(2)	(1)	(2)
426/4	0.03	42/3	0.03
426/5	0.02	42/4	0.03
426/6	0.02	42/5	0.03
426/7	0.04	43	0.06
414/1	0.02	सकल योग निजी भूमि 4.190	
414/2	0.02	शासकीय भूमि	
414/3	0.02	437, 446, 435,	2.280
414/4	0.02	427, 372, 323/1,	
414/5	0.02	337, 64, 62, 41,	
414/6	0.03	32, 34	
414/7	0.01	सकल योग . . . 6.470	
414/8	0.02	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बिलगांव	
414/3	0.02	मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु,	
411	0.06	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय	
33	0.38	कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.	
417	0.21	क्र. भू-अर्जन-32 (अ-82)-2014-2015-1010.—चूंकि, राज्य	
415	0.06	शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई	
416	0.06	अनुसूची में पद (1) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (2) में	
418	0.07	उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम	
357/1	0.04	परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है	
357/2	0.03	इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार	
357/3	0.04	की आवश्यकता नहीं है.	
357/4	0.03	अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार	
357/5	0.04	और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के	
356/2	0.05	अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को	
333	0.19	उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	
322/1	0.17	अनुसूची	
322/2	0.18	(1) भूमि का वर्णन—	
323/2	0.18	(क) जिला—डिण्डौरी	
324/1	0.21	(ख) तहसील—शहपुरा	
42/1	0.30	(ग) ग्राम—गुरैया, प.ह.नं. 47, रा.नि.म. शहपुरा.	
324/2	0.02	(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.01 हेक्टेयर.	
347/2	0.01	खसरा	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा
336	0.09	नम्बर	(हेक्टर में)
65/1	0.05		निजी भूमि शासकीय भूमि
65/2	0.07	(1)	(2) (3)
65/3	0.06	478/1	0.06 -
53	0.10	127/1	0.02 -
52	0.15		
51	0.13		
42/2	0.04		

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
478/2	0.05	-	342	0.02	-
127/4	0.02	-	335	0.06	-
181	0.19	-	336	0.04	-
110	0.08	-	332/2	0.03	-
180	0.02	-	332/1	0.03	-
151	0.06	-	327	0.04	-
182	0.09	-	320/1	0.04	-
183	0.09	-	320/2	0.03	-
185/1	0.03	-	319	0.02	-
186	0.02	-	313	0.02	-
187/1	0.03	-	310	0.02	-
187/2	0.03	-	224	0.05	-
188/1	0.03	-	317/1	0.03	-
188/2	0.03	-	218	0.10	-
106	0.10	-	214	0.03	-
189	0.07	-	213	0.08	-
111	0.11	-	220	0.06	-
114	0.05	-	309	0.07	-
107	0.02	-	योग	0.95	-
128	0.05	-	शासकीय भूमि		0.00
157	0.12	-	सकल योग	0.84	-
142	0.07	-			
141	0.02	-	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बिलगांव		
154/1	0.03	-	मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.		
153	0.03	-	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर/डिण्डौरी		
152/1	0.02	-	कार्यालय में किया जा सकता है.		
140	0.17	-			
127/3	0.02	-	क्र. भू-अर्जन-36 (अ-82)-2014-2015-1016.—चूंकि, राज्य		
127/5	0.02	-	शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई		
150/3	0.10	-	अनुसूची में पद (1) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (2) में		
149/1	0.05	-	उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम		
154/2	0.05	-	परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है		
113	0.06	-	इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार		
115	0.06	-	की आवश्यकता नहीं है.		
473	0.07	-			
योग	2.14	-	अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार		
227		0.03	और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के		
सकल योग	2.17	-	अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को		
350	0.07	-	उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		
349	0.02	-			
318	0.02	-	अनुसूची		
348	0.02	-	(1) भूमि का वर्णन—		
347	0.04	-	(क) जिला—डिण्डौरी		
345	0.03	-	(ख) तहसील—शहपुरा		

(ग) ग्राम—चरगांव रैयत, प.ह.नं. 45, रा.नि.म. शहपुरा.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.93 हेक्टेयर.

(ग) ग्राम—मोहरा खुर्द, प.ह.नं. 45, रा.नि.म. शहपुरा.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.97 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
58	0.02	-
49/8	0.04	-
49/10	0.08	-
49/7	0.06	-
49/2	0.03	-
37/4	0.03	-
37/2	0.02	-
37/3	0.02	-
39/1	0.12	-
24/1	0.10	-
23	0.03	-
11/1	0.06	-
11/2	0.06	-
12/1	0.11	-
योग	0.89	-
37/1		0.04
सकल योग	0.93	-

खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
113	0.06	-
65	0.08	-
64	0.10	-
62	0.08	-
59	0.04	-
47	0.02	-
33	0.12	-
29	0.06	-
32/1	0.02	-
25	0.14	-
3	0.13	-
46	0.04	-
60	0.05	-
योग	0.94	-
22		0.03
सकल योग	0.97	-

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर/डिण्डौरी में किया जा सकता है.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर/डिण्डौरी में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-37 (अ-82)-2014-2015-1012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पद (1) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है.

क्र. भू-अर्जन-38 (अ-82)-2014-2015-1017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पद (1) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—शहपुरा

- (क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—शहपुरा

- (ग) ग्राम—ग्राम चरगांव माल, प.ह.नं. 45, रा.नि.म. शहपुरा.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.71 हेक्टेयर.

अनुसूची

खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	
	निजी भूमि (2)	शासकीय भूमि (3)
(1)	(2)	(3)
225/1	0.04	-
225/2	0.04	-
223/1	0.03	-
183/1	0.05	-
183/2	0.05	-
181	0.06	-
170/1	0.06	-
170/2	0.06	-
170/3	0.06	-
170/4	0.06	-
169	0.12	-
167	0.10	-
189/1	0.02	-
160	0.10	-
157/1	0.16	-
156	0.10	-
156/3	0.09	-
85/1	0.06	-
86/1	0.01	-
88	0.20	-
योग	1.57	-
161, 156/2, 85/2, 86/2, 90/1		0.14
सकल योग	1.71	-

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर/डिण्डौरी में किया जा सकता है.

डिण्डौरी, दिनांक 10 सितम्बर 2015

क्र. भू-अर्जन-20 (अ-82)-2014-2015-1024.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पद (1) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—शहपुरा
(ग) ग्राम—मुढकी रैयत, प.ह.नं. 42 रा.नि.म. शहपुरा.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.850 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
173	0.15
171	0.03
120	0.02
116/3	0.05
116/1	0.05
115/2	0.09
114/1	0.04
115/1	0.09
114/2	0.02
21	0.12
20	0.04
22/2	0.02
22/1	0.06
17/1	0.04
17/2	0.04
17/3	0.04
132/2	0.06
132/1	0.14
119/1	0.09
119/2	0.08
118	0.11
18	0.15
121	0.04
122	0.10
19	0.03
12	0.07
129	0.08
योग . .	1.760
शासकीय भूमि 127, 126	0.090
सकल योग . .	1.850

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बिलगांव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

डिण्डौरी, दिनांक 11 सितम्बर 2015		(1)	(2)
क्र. भू-अर्जन-9 (अ-82)-2014-2015-1025.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पद (1) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है.		265	0.01
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		255/1	0.01
अनुसूची		601	0.07
(1) भूमि का वर्णन—		602	0.03
(क) जिला—डिण्डौरी	भू-अर्जन हेतु	603	0.08
(ख) तहसील—शहपुरा	प्रस्तावित रकबा	236	0.21
(ग) ग्राम—बडखेरा, प.ह.नं. 46, रा.नि.म. शहपुरा.	(हेक्टर में)	552/1	0.04
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.270 हेक्टेयर.		552/2	0.05
खसरा		557/3	0.06
नम्बर		551	0.04
(1)	(2)	230/3	0.06
588/1	0.04	231	0.03
588/2	0.03	550	0.04
588/3	0.03	230/2	0.07
586	0.03	549	0.02
589	0.02	230/1	0.08
593/1	0.02	537/1	0.06
593/2	0.14	537/2	0.06
594	0.27	537/3	0.07
301	0.02	536/1	0.02
565	0.03	536/2	0.02
561	0.10	536/3	0.02
302	0.01	536/4	0.02
563/1	0.11	619	0.06
558/2	0.02	611	0.03
563/2	0.11	613	0.08
562	0.02	297	0.03
560	0.10	614	0.11
555/1	0.01	615	0.02
421/1	0.05	616	0.07
320/1	0.02	617	0.05
		619	0.12
		620	0.02
		229	0.02
		512/2	0.03
		512/1	0.02
		512/3	0.02
		512/4	0.03
		512/5	0.04
		322/2	0.02
		321/2	0.05
		320/1	0.02
		320/2	0.02

(1)	(2)
319/1	0.14
319/2	0.14
317	0.02
316/1	0.06
316/2	0.04
316/3	0.03
315/1	0.04
315/2	0.04
296	0.06
297	0.03
298	0.02
300	0.08
299	0.04
266	0.02
255/3	0.02
264/1	0.03
264/2	0.02
255/2	0.02
257/1	0.05
259	0.04
254	0.11
258	0.12
257/2	0.06
238	0.02
237/1	0.02
228	0.28
637	0.03
232	0.03
318	0.03
267	0.08
610	0.04
कुल योग निजी भूमि	4.970
शासकीय भूमि	
581, 582, 587,	
515, 322/1, 635,	0.300
286	
सकल योग . .	5.270

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बिलगांव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-15(अ-82)-2013-2014-1033.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पद (1) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
 (ख) तहसील—शहपुरा
 (ग) ग्राम—बांकी, प.ह.नं. 42, रा.नि.म. शहपुरा.
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.380 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
404	0.120
401	0.130
402	0.090
400	0.350
399	0.270
398/1	0.050
398/2	0.030
398/3K	0.040
398/2KH	0.040
398/3G	0.050
398/4KH	0.030
कुल योग निजी भूमि	1.200
शासकीय भूमि 403	0.180
सकल योग . .	1.380

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बिलगांव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-16 (अ-82)-2014-2015-1031.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पद (1) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—शहपुरा
(ग) ग्राम—शहपुरा, प.ह.नं. 44, रा.नि.म. शहपुरा.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.93 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
353/3	0.02	-
873/1	0.07	-
873/2K	0.07	-
873/2KH	0.07	-
873/3	0.08	-
872/2	0.05	-
869/1	0.22	-
660	0.06	-
669/2	0.27	-
862/1	0.04	-
867	0.20	-
868/1	0.06	-
868/2K	0.04	-
868/2Kh	0.03	-
866	0.25	-
862/2	0.06	-
846/2	0.16	-
843/5	0.16	-
845/2	0.16	-
845/3	0.18	-

(1)	(2)	(3)
845/4	0.14	-
841/1	0.02	-
841/2	0.02	-
841/3	0.01	-
योग	2.44	-
874, 863, 845/1, 846/1		0.49
सकल योग	2.93	-

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर/डिण्डौरी में किया जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-17(अ-82)-2014-2015-1026.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पद (1) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—शहपुरा
(ग) ग्राम—मगौला, प.ह.नं. 43, रा.नि.म. शहपुरा.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.690 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	
	(1)	(2)
363		0.02
599		0.02
629		0.08
617		0.02
628		0.03
559		0.02

(1)	(2)
516/1	0.02
562	0.03
602	0.35
365	0.09
515	0.34
616	0.33
506	0.15
601	0.26
560	0.11
527	0.05
508	0.06
504	0.15
443/1	0.32
333	0.03
630	0.05
621	0.18
526	0.14
631	0.06
620	0.07
563	0.02
364	0.18
366/1	0.06
366/2	0.10
279	0.04
485	0.16
530	0.28
563	0.02
483/2	0.03
619	0.04
622	0.15
618	0.02
634	0.12
507	0.02
योग . .	4.220
शासकीय भूमि	
340/3, 339, 355	0.470
सकल योग . .	4.690

क्र. भू-अर्जन-18(अ-82)-2013-2014-1032.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—शहपुरा
(ग) ग्राम—भरद्वारा माल, प.ह.नं. 46, रा.नि.म. शहपुरा.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.370 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
261	0.04
260	0.18
249	0.28
255/5	0.14
255/4	0.20
255/3	0.12
255/2	0.08
255/1	0.14
254/1	0.08
254/2	0.09
253/1	0.04
253/2	0.04
253/3	0.04
253/4	0.04
116/1	0.12
41	0.25
116/2	0.13
120	0.06
121	0.06
122	0.21

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बिलगांव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

(1)	(2)	खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	
			निजी भूमि	शासकीय भूमि
		(1)	(2)	(3)
142	0.12			
143/1	0.06			
143/2	0.06			
143/3	0.06			
43	0.20			
38	0.03	298	0.06	-
42/1	0.04	297	0.06	-
42/2	0.06	290	0.12	-
42/3	0.07	299	0.04	-
39	0.12	302	0.06	-
37/1	0.21	305	0.02	-
38/2	0.20	311/1	0.03	-
262	0.13	311/2	0.03	-
कुल योग निजी भूमि . .	3.700	313	0.09	-
शासकीय भूमि		312	0.24	-
124, 35, 265,	0.670	327	0.03	-
123		योग . .	0.78	-
सकल योग . .	4.370	286, 328		0.32
		सकल योग . .	1.10	

माइनर नं. 01

माइनर नं. 02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बिलगाँव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-27 (अ-82)-2014-2015-1038.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—शहपुरा

(ग) ग्राम—मंगेला, प.ह.नं. 43, रा.नि.म. शहपुरा.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.54 हेक्टेयर.

168	0.03	-
169	0.12	-
164	0.10	-
87	0.10	-
56	0.02	-
86/2	0.04	-
100	0.06	-
6	0.12	-
101	0.08	-
102/2	0.02	-
1	0.10	-
89	0.05	-
88	0.04	-
59/1	0.03	-
14	0.08	-
55	0.06	-
53	0.06	-
54	0.10	-
86/1	0.04	-
102/1	0.04	-
103	0.06	-
योग . .	1.39	
236, 5, 75		0.19
सकल योग . .	1.58	

गुरैया डिस्ट्रीब्यूटरी माइनर नं. 01

(1)	(2)	(3)
340/1	0.04	-
340/2	0.03	-
340/3	0.04	-
343	0.12	-
344	0.08	-
योग . .	<u>0.31</u>	-
	0.00	-
सकल योग . .	<u>0.31</u>	-

गुरैया डिस्ट्रीब्यूटरी माइनर नं. 02

(1)	(2)	(3)
603	0.06	-
602	0.08	-
604/1	0.04	-
606/4	0.05	-
606/5	0.05	-
608	0.07	-
591	0.02	-
582	0.18	-
योग . .	<u>0.55</u>	-
शासकीय भूमि	0.00	-
सकल योग . .	<u>0.55</u>	-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, डिण्डौरी कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-28(अ-82)-2014-2015-1030.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—शहपुरा

(ग) ग्राम—करौंदी, प.ह.नं. 41, रा.नि.म. शहपुरा.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.71 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
4	0.09	-
10/2	0.09	-
6	0.12	-
7	0.12	-
24	0.03	-
25/1	0.03	-
31	0.05	-
30	0.05	-
48	0.02	-
49	0.02	-
51	0.07	-
52	0.03	-
53	0.03	-
54	0.02	-
55/1	0.02	-
96	0.06	-
94	0.04	-
93	0.04	-
100	0.08	-
171	0.09	-
172	0.02	-
163	0.26	-
165	0.02	-
166	0.14	-
	<u>योग . .1.54</u>	-
406, 159, 200		0.17
सकल योग	<u>1.71</u>	-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, डिण्डौरी कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-29(अ-82)-2014-2015-1034.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है

इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—शहपुरा

(ग) ग्राम—पिपराड़ी, प.ह.नं. 30, रा.नि.म. शहपुरा.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.86 हेक्टेयर.

माइनर नं. 01

खसरा भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा
नम्बर (हेक्टर में)

निजी भूमि शासकीय भूमि

(1) (2) (3)

107 0.04 -

115 0.07 -

109 0.08 -

114 0.04 -

112/1 0.04 -

112/2 0.04 -

116 0.04 -

योग . . 0.35 -

0.00 -

सकल योग 0.35 -

माइनर नं. 02

(1) (2) (3)

127 0.06 -

431 0.02 -

421/2 0.04 -

421/3 0.04 -

451 0.18 -

योग . . 0.34 -

0.00 -

सकल योग . . 0.34 -

माइनर नं. 03

(1) (2) (3)

329 0.22 -

339 0.04 -

345 0.02 -

(1) (2) (3)

346 0.02 -

350 0.04 -

340 0.02 -

349 0.02 -

363 0.02 -

364 0.02 -

365/1 0.02 -

366 0.02 -

370 0.02 -

367 0.02 -

290 0.20 -

371 0.02 -

299 0.10 -

296 0.06 -

295 0.04 -

294 0.03 -

292 0.10 -

योग . . 1.05 -

343 - 0.02

सकल योग 1.07 -

माइनर नं. 04

(1) (2) (3)

152/1 0.02 -

152/2 0.02 -

153/1 0.02 -

154/1 0.03 -

155 0.02 -

317 0.04 -

306 0.04 -

318 0.04 -

319 0.03 -

310/1 0.04 -

310/2 0.04 -

276/1 0.03 -

276/4 0.03 -

276/2 0.03 -

264 0.04 -

263/1 0.12 -

248 0.04 -

241 0.08 -

213 0.12 -

214/1 0.06 -

214/2 0.06 -

योग . . 0.95 -

(1)	(2)	(3)	(ग) ग्राम—शहपुरा, प.ह.नं. 44, रा.नि.म. शहपुरा. (घ) लगभग क्षेत्रफल—6.37 हेक्टेयर. माइनर नं. 04	खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
सकल योग			निजी भूमि	शासकीय भूमि	
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
343, 274, 275, 273, 255, 243, 242, 244	-	0.34	872/1	0.02	-
	1.29	-	872/2	0.02	-
			873/1	0.10	-
			407/1	0.05	-
			359/1	0.05	-
			359/2	0.05	-
			364/1	0.05	-
			364/2	0.05	-
			362/1	0.06	-
			362/2	0.03	-
			362/3	0.02	-
			362/4	0.07	-
			365	0.08	-
			366/1	0.05	-
			366/2	0.06	-
			366/3	0.06	-
			366/4	0.04	-
			367/1	0.10	-
			300/1/d	0.08	-
			300/2	0.08	-
			300/3	0.08	-
			300/4	0.04	-
			301/1	0.02	-
			3021d	0.04	-
			304/3	0.04	-
			304/1	0.02	-
			305/1	0.08	-
			293/1	0.05	-
			294/1	0.03	-
			294/2	0.02	-
			288/1	0.07	-
			288/2	0.05	-
			408/2	0.22	-
			407/2	0.04	-
			406/1	0.04	-
			406/2	0.03	-
			295/5	0.04	-
			योग . .	2.03	-
			367/2, 351, 298	-	0.07
			सकल योग	2.10	-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.					
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर/डिण्डौरी कार्यालय में किया जा सकता है.					
क्र. भू-अर्जन-30(अ-82)-2014-2015-1029.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पद (1) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है.					
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—					
			अनुसूची		
(1) भूमि का वर्णन—					
(क) जिला—डिण्डौरी					
(ख) तहसील—शहपुरा					

माइनर नं. 05

(1)	(2)	(3)
24/1	0.12	-
27/4	0.12	-
24/2	0.12	-
27/1	0.12	-
50/1	0.10	-
56/1	0.08	-
56/2	0.08	-
445	0.38	-
460/1	0.07	-
460/2	0.07	-
463/1	0.06	-
463/2	0.04	-
463/3	0.04	-
436/1 क	0.22	-
436/1 ख	0.22	-
436/2 क	0.22	-
436/2 ख	0.22	-
436/3	0.22	-
601	0.12	-
596/1	0.12	-
862/1	0.09	-
597/1	0.06	-
616/1 क	0.10	-
637/1	0.02	-
667/2	0.02	-
640/1	0.04	-
678/1	0.04	-
678/2	0.04	-
679	0.08	-
681	0.09	-
682/1	0.08	-
683/1	0.06	-
862/2	0.09	-
योग .	3.55	-
29/1, 50/2,	-	-
49, 437,	-	-
706, 583,	-	0.72
778, 633	-	-
सकल योग	4.27	-

क्र. भू-अर्जन-31(अ-82)-2014-2015-1028.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पद (1) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—शहपुरा

(ग) ग्राम—पड़रिया, प.ह.नं. 26, रा.नि.म. शहपुरा.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.13 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
353	0.05	-
356	0.02	-
354	0.05	-
348	0.02	-
325/1	0.03	-
280/2	0.05	-
325/2	0.03	-
380/1	0.05	-
57/2	0.04	-
284/2	0.04	-
364	0.14	-
337	0.07	-
329	0.06	-
368	0.02	-
330	0.04	-
321	0.04	-
283/1	0.03	-
56/1	0.02	-
283/2	0.04	-
56/2	0.02	-
283/3	0.03	-
284/1	-	-
232/1	0.06	-
232/2	0.05	-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर/डिण्डौरी कार्यालय में किया जा सकता है.

अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—शहपुरा

(ग) ग्राम—रनगांव, प.ह.नं. 43, रा.नि.म. शहपुरा.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.23 हेक्टेयर.

रनगांव माईनर 1

(1)	(2)	(3)	खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेर में)	
				निजी भूमि (1)	शासकीय भूमि (3)
231/1	0.08	-			
231/2	0.08	-			
28	0.07	-			
29	0.03	-			
81	0.04	-			
80	0.07	-			
30	0.06	-			
58	0.02	-			
61/1	0.03	-			
66	0.08	-			
64	0.06	-			
78	0.02	-			
77	0.02	-			
98	0.14	-	195	0.08	-
119	0.03	-	194	0.03	-
112	0.05	-	193	0.12	-
109	0.04	-	192	0.10	-
107	0.04	-	191	0.02	-
108	0.02	-	137/1	0.02	-
144	0.06	-	137/3	0.14	-
145	0.02	-	137/4	0.12	-
148	0.04	-	140	0.16	-
151	0.06	-	143	0.18	-
	योग . . . 2.09	-	146	0.21	-
284, 227		0.04		योग . . . 1.18	-
	सकल योग . . . 2.13	-	139		0.04
				सकल योग . . . 1.22	-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, डिण्डौरी कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-33(अ-82)-2014-2015-1035.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इस लिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के

रनगांव माईनर 2

(1)	(2)	(3)
121	0.08	-
122/1	0.02	-
122/2	0.02	-
123	0.06	-
128/1	0.14	-
128/2	0.14	-
129	0.18	-
162	0.14	-
165	0.06	-
167/1	0.08	-
167/2	0.10	-

(1)	(2)	(3)
173/2	0.14	-
168	0.04	-
202	0.06	-
204	0.13	-
41	0.04	-
129	0.06	-
169	0.07	-
योग . .	1.56	-
सकल योग . .	1.56	-

रनगांव माईनर 3

(1)	(2)	(3)
17/1	0.02	-
17/2	0.05	-
18	0.19	-
32	0.04	-
33	0.04	-
34	0.04	-
44	0.12	-
42	0.08	-
49	0.11	-
43	0.04	-
50	0.08	-
55/1	0.12	-
55/2	0.08	-
397	0.10	-
398	0.08	-
399/1	0.08	-
418/2	0.04	-
422	0.06	-
425	0.04	-
योग . .	1.41	-
410	-	0.04
सकल योग . .	1.45	-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, डिण्डौरी कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-34(अ-82)-2014-2015-1037.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—शहपुरा

(ग) ग्राम—बरगांव, प.ह.नं. 40, रा.नि.म. शहपुरा.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.55 हेक्टेयर.

बरगांव माईनर नं. 02

(1)	(2)	(3)
315/1	0.06	-
315/2	0.03	-
315/3	0.03	-
362	0.13	-
363/1	0.08	-
363/2	0.06	-
379	0.04	-
383	0.04	-
382	0.04	-
385	0.09	-
388	0.04	-
394/1	0.02	-
394/2	0.02	-
395	0.05	-
396/1	0.03	-
396/2	0.03	-
396/3	0.02	-
397/1	0.03	-
397/2	0.03	-
397/3	0.03	-
397/4	0.03	-
398/1	0.08	-
398/2	0.08	-
452	0.16	-
454	0.02	-
444/1	0.03	-
455/2	0.03	-
456/1	0.07	-
456/2	0.06	-
215	0.09	-
216	0.07	-
217/1	0.06	-

(1)	(2)	(3)
217/3	0.06	-
218/1	0.05	-
218/2	0.06	-
227	0.03	-
228/1	0.02	-
228/2	0.02	-
229	0.04	-
230	0.02	-
231	0.03	-
232	0.04	-
264	0.04	-
योग . .	2.090	-
432, 947	-	0.04
सकल योग . .	2.13	-

बरगांव माईनर नं. 01

(1)	(2)	(3)
1624	0.22	-
1630	0.04	-
1629	0.03	-
1761/2	0.06	-
1762	0.03	-
1628	0.03	-
1759	0.03	-
1631	0.04	-
1625	0.12	-
1761/1	0.03	-
1764	0.02	-
1683	0.12	-
1627	0.12	-
1682	0.08	-
1757	0.12	-
1758	0.12	-
योग . .	1.21	-
1626, 1636	0.11	0.11
सकल योग . .	1.32	-

बरगांव माईनर नं. 03

(1)	(2)	(3)
1587	0.12	-
1593	0.09	-
1581	0.06	-
1578	0.12	-
1586/1	0.02	-
1569	0.14	-
1583	0.04	-
1584	0.06	-

(1)	(2)	(3)
1586/2	0.03	-
1597/1	0.06	-
1597/2	0.04	-
1597/3	0.06	-
1666	0.06	-
1667	0.04	-
264	0.04	-
1569	0.06	-
1580	0.04	-
योग . .	1.10	-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, डिण्डौरी कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-35(अ-82)-2014-2015-1028.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
 (ख) तहसील—शहपुरा
 (ग) ग्राम—भरद्वारा, प.ह.नं. 46, रा.नि.म. शहपुरा.
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.68 हेक्टेयर.

माईनर नं. 10

(1)	(2)	(3)
249	0.04	-
117/1	0.01	-
117/2	0.08	-
101/1	0.05	-
97	0.07	-
90	0.10	-
85	0.02	-
46	0.10	-
29	0.06	-
30	0.10	-
27	0.26	-

(1)	(2)	(3)
26	0.02	-
2	0.08	-
18	0.04	-
19	0.11	-
20	0.13	-
4/4	0.04	-
4/2	0.04	-
4/1	0.05	-
4/3	0.04	-
1	0.04	-
योग . .	1.55	-
92, 48		0.05
सकल योग . .	1.60	

बिजौरी टेल माइनर

(1)	(2)	(3)
260	0.04	-
256	0.10	-
259/1	0.06	-
259/2	0.05	-
259/3	0.05	-
77	0.26	-
69	0.06	-
68	0.07	-
65	0.14	-
62/1	0.09	-
62/2	0.07	-
योग . .	1.05	-
74		0.03
सकल योग . .	1.08	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बिलगांव मध्यम परियोजना का नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, डिण्डौरी कार्यालय में किया जा सकता है.

प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—शहपुरा

(ग) ग्राम—टिकरिया प.ह.नं. 30 रा.नि.म. शहपुरा.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.09 हेक्टेयर.

माइनर नं. 01

खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
375	0.04	-
379	0.06	-
386	0.02	-
387	0.02	-
388	0.04	-
417/1	0.03	-
418/1	0.05	-
419	0.04	-
603	0.04	-
420	0.03	-
606	0.22	-
604	0.04	-
421	0.03	-
422/1	0.06	-
408	0.04	-
502	0.03	-
503/1	0.04	-
612	0.02	-
507/1	0.04	-
508/1	0.02	-
609	0.03	-
605	0.03	-
602	0.09	-
101	0.02	-

क्र. भू-अर्जन-39(अ-82)-2014-2015-1036.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में पद (1) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
102	0.03	-	221	0.04	-
103	0.02	-	217/1	0.01	-
234/1	0.04	-	217/2	0.02	-
572	0.08	-	216/1	0.08	-
605	0.03	-	216/2	0.07	-
606	0.03	-	214	0.05	-
421	0.03	-	213	0.04	-
387	0.02	-	निजी	0.69	-
निजी माइनर नं. 1.38		-	142, 219		0.06
सकल योग . . 1.38			सकल योग . . 0.75		

100/1	0.02	-
103	0.03	-
112	0.06	-
116	0.10	-
234/1	0.04	-
234/2	0.02	-
255/2	0.12	-
254	0.04	-
250/1	0.04	-
249/1	0.02	-
249/2	0.02	-
248	0.02	-
545	0.04	-
546	0.04	-
544	0.04	-
567/1	0.04	-
568/1	0.06	-
569	0.07	-
572	0.08	-
निजी	0.90	-
शासकीय		-
142, 232	0.06	-
सकल योग . . 0.96		

माइनर नं. 03

(1)	(2)	(3)
193/1	0.06	-
196/1	0.08	-
226/1	0.03	-
226/2	0.04	-
227/1	0.06	-
237/1	0.05	-
238/	0.06	-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बिलगांव मध्यम परियोजना का नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, डिण्डौरी कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
छवि भारद्वाज, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छतरपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2015

प्र. क्र. 139-अ-82-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—लवकुशनगर
(ग) नगर/ग्राम—लवकुशनगर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.285 हेक्टर.

खसरा	अर्जित रकबा
क्रमांक	(हे. में)
(1)	(2)
3871	0.020
3872	0.020
3868	0.005
3870/2	0.040

(1)	(2)	(3)
2851		0.010
2225/3964		0.080
2224/1		0.070
2215		0.040
	योग . .	<u>0.285</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, भू-अर्जन कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 140-अ-82-भू-अर्जन—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—लवकुशनगर
(ग) नगर/ग्राम—मदनपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.643 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
229	0.255
227	0.010
226	0.150
279/2/4	0.068
244	0.010
242	0.120
253/1	0.030
	योग . .
	<u>0.643</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, भू-अर्जन कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 141-अ-82-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में

वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—लवकुशनगर
(ग) नगर/ग्राम—मडवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.020 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
994	0.020
	योग . .
	<u>0.020</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, भू-अर्जन कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 142-अ-82-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—लवकुशनगर
(ग) नगर/ग्राम—जामूपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.874 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
200/1/4	0.090
200/1/3	0.050

(1)	(2)
394	0.100
395	0.115
334/1/2	0.037
328	0.060
329	0.108
286	0.108
287	0.138
272/2	0.014
306 शा. 307	0.054
योग . . . <u>0.874</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, भू-अर्जन कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 143-अ-82-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—लवकुशनगर
(ग) नगर/ग्राम—मुडेरी दक्षिणी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.104 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
149+150, 151	0.050
283	0.050
276	0.004
योग . . . <u>0.104</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, भू-अर्जन कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 144-अ-82-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—गौरीहार
(ग) नगर/ग्राम—कुँवरपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.291 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
706/1	0.060
706/2	0.060
706/3	0.060
705	0.080
696/2	0.035
433/1, 433/2	0.140
440/1, 440/2	0.116
447/2	0.018
767	0.125
731/2/1	0.080
644/2	0.026
633/1/Ka	0.075
633/1/Kha	0.020
506	0.064
635	0.067
505	0.054
503	0.005
497/1	0.048
496	0.056
495	0.030
325	0.072
योग . . . <u>1.291</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, भू-अर्जन कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 145-अ-82-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—लवकुशनगर
(ग) नगर/ग्राम—शाहपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.760 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
413/1	0.005
424	0.130
34	0.150
12/2 शा. न.	0.010
12/1, 13/2	
11/1	0.010
8	0.084
6	0.007
7	0.070
9	0.074
10/1	0.010
59	0.140
60	0.070
योग . .	0.760

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, भू-अर्जन कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 146-अ-82-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत

इसके लिये यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—गौरीहार
(ग) नगर/ग्राम—कसारा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.881 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
772	0.252
773	0.010
763	0.200
760/2	0.044
760/3	0.044
754	0.005
752	0.125
751/1	0.050
751/2	0.050
751/3	0.050
747	0.275
748	0.037
740	0.130
741	0.054
736	0.010
726	0.125
708	0.098
615	0.055
616	0.190
429	0.077
योग . .	1.881

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, भू-अर्जन कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 147-अ-82-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन

के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—लवकुशनगर
(ग) नगर/ग्राम—पुरवा बम्होरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.445 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1158	0.020
1020	0.020
1164	0.023
997	0.100
987	0.040
670	0.010
669	0.200
1163/1	0.032
योग . .	0.445

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, भू-अर्जन कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 148-अ-82-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—लवकुशनगर
(ग) नगर/ग्राम—बेडी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.237 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
74/2	0.090
86	0.070
96	0.007
202	0.010
208	0.030
209	0.020
237/1	0.010
योग . .	0.237

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर,

भू-अर्जन कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 149-अ-82-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—लवकुशनगर
(ग) नगर/ग्राम—सिंजई
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.008 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
989+990	0.008
योग . .	0.008

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, भू-अर्जन कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 150-अ-82-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—लवकुशनगर
(ग) नगर/ग्राम—मढा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.015 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
142	0.015
योग . .	0.015

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, भू-अर्जन कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सतेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 21 सितम्बर 2015

क्र. भू-अर्जन-42(अ-82)-2014-2015-1043.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस पुल निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

सर्वे नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
(क) जिला—डिण्डौरी	
(ख) तहसील—डिण्डौरी	
(ग) ग्राम—धनुवासागर, प.ह.नं. 63	
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.881 हेक्टेयर.	
482	0.524
483/1, 483/2, 483/3	0.240
484	0.108
485/1, 485/2, 485/3	0.009
शासकीय भूमि . . .	0.000
कुल योग . . .	0.881

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—जबलपुर-अमरकंटक मार्ग कि.मी. 145/4 कुतरेल नदी पर पुल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी/कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-40(अ-82)-2014-2015-1044.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची

के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस पुल निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—डिण्डौरी
(ग) ग्राम—गीधा, प.ह.नं. 158
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.322 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
602/1	0.204
603	0.038
604	0.022
605/1	0.056
606	0.002
शासकीय भूमि . . .	0.000
कुल योग . . .	0.322

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—जबलपुर-अमरकंटक मार्ग कि.मी. 154/4 गोमती नदी पर पुल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी/कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-41(अ-82)-2014-2015-1045.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस पुल निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—डिण्डौरी
(ग) ग्राम—कनईसांगवा, प.ह.नं. 64
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.173 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/1	0.084
2/3	0.089
शासकीय भूमि . .	0.000
कुल योग . .	<u>0.173</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—जबलपुर-अमरकंटक मार्ग कि.मी. 145/4 कुतरेल नदी पर पुल निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी/कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-43(अ-82)-2014-2015-1046.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस पुल निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—डिण्डौरी

- (ग) ग्राम—घानाघाट, प.ह.नं. 63
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.054 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
4	5
813	0.024
814	0.030
योग . .	0.054
शासकीय भूमि . .	0.000
कुल योग . .	<u>0.054</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—जबलपुर-अमरकंटक मार्ग कि.मी. 145/4 कुतरेल नदी पर पुल निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी/कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-44(अ-82)-2014-2015-1047.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस पुल निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—डिण्डौरी
(ग) ग्राम—बरगांव माल प.ह.नं. 170
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.237 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
626	0.002
627/2	0.235
योग . .	0.054
शासकीय भूमि . .	0.000
कुल योग . .	<u>0.237</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—जबलपुर-अमरकंटक मार्ग कि.मी. 172/8 चकरार नदी पर पुल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी/कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-46(अ-82)-2014-2015-1048.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस पुल निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

सर्वे नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
746	0.004
747/1, 747/2	0.009
748	0.007
750	0.026
751	0.062
751/1, 751/2	0.123
753	0.031
754	0.140
शासकीय भूमि . .	0.000
कुल योग . .	0.402

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—जबलपुर-अमरकंटक मार्ग कि.मी. 154/4 गोमती नदी पर पुल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी/कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-45(अ-82)-2014-2015-1049.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस पुल निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—बजाग
(ग) ग्राम—गाड़ासरई, प.ह.नं. 194
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.074 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
107/1, 107/2, 107/3	0.074
शासकीय भूमि . .	0.000
कुल योग . .	0.074

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—जबलपुर-अमरकंटक मार्ग कि.मी. 172/8 चकरार नदी पर पुल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी/कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
छबि भारद्वाज, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.